छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 175 ■ अम्बिकापुर, मंगलवार 07 जुलाई 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

वासेपुर का गैंगस्टर 13 साल से अंबिकापुर में रहकर कर रहा था करोड़ों का कारोबार

कई बस और एम्बुलेंस का संचालन करने वाले सजायाफ्ता मुजरिम की पुलिस को है तलाश

■ न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित अपराधी को शरण देने वाले बस संचालक के विरूद्ध केस दर्ज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कोतवाली थाना पुलिस ने वर्ष 2013 से अंबिकापुर के मोमिनपुरा में गैंग्स ऑफ वासेपुर के फरार कुख्यात गैंगस्टर साबीर आलम 60 वर्ष और उसके सहयोगी जावेद को शरण देने के मामले में बस संचालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। कुख्यात आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से न्यायालय ने दण्डित किया था, इसके बाद वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। झारखंड पुलिस को जब आरोपी के अंबिकापुर में होने की खबर मिली, तो वह गुपचुप तरीके से आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। सिविल ड्रेस में आरोपी को कब्जे में लेने उसके ठिकाने तक झारखंड पुलिस पहुंच गई, लेकिन यहां बनी विवाद की स्थिति के बीच आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। सजायाफ्ता गैंगस्टर और उसका सहयोगी जावेद अंबिकापुर में 13 साल से छिपकर रह रहे थे, और बस संचालक के साथ पार्टनरशिप में बसें और 40 से ज्यादा एम्बुलेंस का संचालन करने में लगे थे। गैंगस्टर ने करोड़ों का कारोबार खड़ा करने के साथ आलीशान मकान भी बनवा लिया था।

बता दें कि, गैंग्स ऑफ वासेपुर का डॉन कहे जाने वाले फहीम खान, निवासी बासेपुर धनबाद की मां और मौसी की गोली मारकर 18 अक्टूबर 2001 को दिन-दहाड़े हत्या की गई थी, जिसे मुख्य आरोपी गैंगस्टर साबीर आलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। लम्बे समय से फरार आरोपी को तलाशते झारखंड की पुलिस अंबिकापुर स्थित उसके ठिकाने पर दबिश दी, तो इन्हें कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, इस बीच हत्याकांड का सजायाफ्ता मुजरिम मौके से भाग गया। आरोपी के हाथ से निकलने के बाद झारखंड पुलिस को

सरगुजा पुलिस की याद आई और अंबिकापुर के पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी। एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने मामला संज्ञान में आने के बाद सरगुजा पुलिस टीम और झारखंड पुलिस ने हर संभावित संदिग्ध स्थलों पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिये दबिश दी, नाकाबंदी करके सजायाफ्ता मुजरिम की खोजबीन की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस अब इनके आर्थिक नेटवर्क और मददगारों की कुंडली खंगाल रही है। वासेपुर के खूनी संघर्ष पर 'गैंग्स आफ वासेपुर' फिल्म भी बन चुकी है।

18 अक्टूबर 2001 को धनबाद में मारा था गोली

वासेपुर धनबाद के गैंगस्टर साबीर आलम, उसके भाई शाहीद आलम ने 5 लोगों के साथ मिलकर डॉन फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून को 18 अक्टूबर 2001 को धनबाद में गोली मार दी थी। हत्या के आरोप में आरोपी गिरफ्तार भी किए गए थे। साल 2013 में हाईकोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर साबीर आलम भाग गया था। वह अपने साथी जावेद के साथ अंबिकापुर के बस संचालक बैदुल खान के संपर्क में आया। बैदुल खान ने गैंगस्टर को पनाह देने के साथ ही बस संचालन में पार्टनर भी बना लिया। धनबाद के कोयला माफियाओं और गैंगस्टरों पर गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम से फिल्म भी बनी है, जो वर्ष 2012 में रिलीज हुई थी।

संपत्ति कुर्की का न्यायालय ने दिया था आदेश

कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी तो सामने आया कि, गैंग्स आफ वासेपुर का डॉन कहे जाने वाले फहीम खान निवासी बासेपुर धनबाद की मां और मौसी के हत्या के आरोपी साबीर आलम को उच्च न्यायालय झारखण्ड के द्वारा भगोड़ा घोषित करते हुये आजीवन कारावास की सजा तो सुनाई ही थी, आरोपी के संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया है। इसके बाद से सजायाफ्ता मुजरिम साबीर आलम वासेपुर धनबाद से फरार होकर सजा के डर से वर्ष 2013 से मोमिनपुरा अंबिकापुर में अपना पहचान छिपाकर रह रहा था।

क्रिमिनल सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं तार

सूत्रों के अनुसार अंबिकापुर में छिपे साबीर आलम के तार धनबाद के क्रिमिनल सिंडिकेट से जुड़े थे। यहां से रंगदारी और वसूली का मोटा पैसा लगातार इन आरोपियों तक पहुंचने जैसी बातें भी सामने आ रही हैं। साबीर आलम अपने साथी बैदुल के साथ मिलकर राजहंस बस का संचालन कर रहा था। इसके अलावा, राजहंस कंपनी की 2 बसें खरीदकर सासाराम और बिहार पटना रूट पर चला रहा था। इसके सिंडिकेट में एसईसीएल सहित अन्य औद्योगिक इलाके में 40 एंबुलेंस चल रही थी। साबीर और उसका सहयोगी जावेद आलम उर्फ बाबू ने खरसिया नाका के आसपास जमीन खरीदकर प्लॉटिंग का काम भी शुरू किया था। धनबाद पुलिस की दबिश के बाद पूरे नेटवर्क की करतूत सामने आ रही है।

गैंगस्टर को बसाने में किया सहयोग

पुलिस की जांच में सामने आया है कि, गैंगस्टर साबीर आलम को पहचान छिपाकर शरण दिलवाने में मुख्य भूमिका राजहंस बस के संचालक वैदुल खान निवासी मोमिनपुरा अंबिकापुर ने निभाई है। पुलिस ने जांच में पाया कि, बस संचालक वैदुल खान यह जानते हुए कि, साबीर आलम को उच्च न्यायालय झारखण्ड के द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के साथ भगोड़ा घोषित करके उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है, इसके बाद भी मोमिनपुरा अंबिकापुर में आश्रय देकर रखा था। पुलिस ने आरोपी बैदुल खान व अन्य सहयोगियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 249 का अपराध पंजीबद्ध किया है।

कलेक्टर के आदेश को ठेंगा, 6 लोगों पर अब तक नहीं हुई एफआईआर

20 डिसमिल की जगह 3.14 एकड़ जमीन की कराई थी रजिस्ट्री

■ अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम भिट्ठीकला के महुआटिकरा निवासी बेवा से आरोपियों ने किया था फर्जीवाड़ा

■ कलेक्टर ने शिकायत की जांच के बाद तहसीलदार को एफआईआर दर्ज कराने के दिए थे निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम भिट्ठीकला के महुआटिकरा की एक विधवा महिला से उसकी 20 डिसमिल जमीन का सौदा कर 6 लोगों ने 3.14 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी। इसकी शिकायत महिला ने एक माह पूर्व कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने मामले की जांच कराई तो बेशकीमती जमीन का धोखे से रजिस्ट्री कराना सामने आया। इस पर कलेक्टर अजीत वसंत ने सभी 6 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने अंबिकापुर तहसीलदार को निर्देशित किया था। लेकिन इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। यह कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाने जैसा है।

ग्राम भिट्ठीकला के महुआटिकरा निवासी बेवा सावित्री यादव पति स्व. बंधन यादव ने जून के पहले सप्ताह में कलेक्टर से शिकायत करके बताया था कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भिट्ठीकला स्थित खसरा क्रमांक 782, 783 एवं 790, कुल रकबा 1.271 हेक्टेयर है। उक्त भूमि में से मात्र 24 डिसमिल भूमि का सौदा रायपुर निवासी पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल के साथ 3 लाख प्रति डिसमिल की दर से कुल 72 लाख रुपये में तय हुआ था। महिला ने बताया था कि पुष्पा अग्रवाल ने अन्य आरोपियों के साथ षड्यंत्र कर 15 मई को उसकी पूरी जमीन 1.271 हेक्टेयर (लगभग 3.14 एकड़) की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली।

एसडीएम को दिए थे जांच के निर्देश

बेवा महिला की शिकायत पर कलेक्टर ने तहसीलदार एवं एसडीएम को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। जांच में यह बात सामने आई कि बिक्री के लिए केवल 24 डिसमिल जमीन का ही सौदा हुआ था, लेकिन बेवा की पूरी जमीन 3.14 एकड़ का ऑनलाइन प्रक्रिया से रजिस्ट्री करा ली गई।

6 लोगों के विरूद्ध होना था एफआईआर

मामले की जांच के बाद अंबिकापुर एसडीएम ने कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन सौंपा था। इसमें कहा गया कि बेवा सावित्री यादव के स्वामित्व की भूमि का पंजीबद्ध विकय पत्र पिछले 12 मई को कूटरचित निष्पादित कराया जाना पाया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने आरोपी रायपुर के कोटा रोड मालती लाइफ महोबा बाजार निवासी पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल, सागर विश्वकर्मा, डोमन राजवाड़े पिता प्रभु, जीतन विश्वकर्मा, आशीष उर्फ बाबा एवं दस्तावेज लेखक कमर कादरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।

20 दिन बाद भी एफआईआर नहीं

कलेक्टर द्वारा एफआईआर का आदेश जारी किए 20 दिन से अधिक हो चुका है। इसके बाद भी अब तक उक्त 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने में रसूखदारों का नाम सामने आ रहा है। इस वजह से अब तक अपराध दर्ज नहीं किया गया है। वहीं सोशल मीडिया में इस बात की भी चर्चा है कि बेवा की जमीन वापस करने की कवायद आरोपियों द्वारा की जा रही है।

बनारस चौक पर दर्दनाक हादसा तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा

अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र में बनारस चौक के पास मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक की जोरदार टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक बहुत तेज गति में था। उसने पैदल सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद बनारस चौक पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर जमा हुए लोगों की मदद से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, यहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों की टीम घायल की स्थिति पर नजर रखे हुए है। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया है।

सरगुजा संभाग में लम्बे इंतजार के बाद मानसून ने पकड़ी रफ्तार

मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया, देर रात तक होते रही झमाझम बारिश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सोमवार को सरगुजा संभाग में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली। झमाझम बारिश दोपहर बाद शुरू हुई जो देर शाम तक अनवरत जारी रही, जिससे पूरे अंबिकापुर शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह बदल गया। तेज बारिश के चलते जहां खेतों में पानी भर गया और किसानों को राहत मिली। वहीं शहर की कई प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बता दें कि, मौसम विभाग ने पूरे सरगुजा संभाग के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार मानसून अब उत्तर छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो रहा है। आगामी दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसी क्रम में सोमवार को सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। दोपहर बाद बारिश शुरू हुई, देखते ही देखते शहर की सड़कें पानी से भर गईं। कई स्थानों पर जल-निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और निचले इलाकों में पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित रहा। कई जगह सड़कें तालाब जैसी दिखाई दीं, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने नगर निगम से जल निकासी व्यवस्था को लेकर की गई मशक्कत को सवालों के घेरे में लिया है।

किसानों का रूख हुआ खेतों की ओर

बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिला है। पिछले करीब दो सप्ताह से पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण खेती का काम लगभग ठप पड़ गया था। अधिकांश किसान थरहा तैयार नहीं कर पाए थे, जिन किसानों ने थरहा तैयार कर लिया था, वे पानी के अभाव में धान की रोपाई शुरू नहीं कर सके थे। सोमवार की अच्छी बारिश से खेतों में पर्याप्त पानी भर गया, अब आने वाले दिनों में लगातार बारिश होने पर रोपाई के काम में तेजी की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों के दौरान मैनपाट, सीतापुर, लखनपुर और उदयपुर विकासखंडों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों का जलस्तर बढ़ने लगा है और खेती-किसानी के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। अंबिकापुर में पिछले 24 घंटों में 12.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, लेकिन सोमवार को हुई तेज बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया।

उमस भरी गर्मी से मिली राहत

लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि सोमवार को न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश के बाद वातावरण में ठंडक आई है, लोगों को कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।

करम्हा में आकाशीय बिजली का कहर

अंबिकापुर। सरगुजा में बदले मौसम ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम करम्हा पड़सीलिपारा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जयनाथ राम 65 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार को क्षेत्र में तेज बारिश* हो रही थी। करम्हा का ग्रामीण जयनाथ अपने बैलों को चराने के लिए घर से निकला था। बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरी और वह उसकी चपेट में आ गया। बिजली गिरते ही ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना की पुलिस टीम तुरंत गांव पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में इस हादसे के बाद मातम का माहौल है।

युवक अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर खुदकुशी किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बलरामपुर जिला के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम धंधापुर निवासी एक युवक अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, धंधापुर निवासी दीपचंद उइके पिता करीमन उइके 23 वर्ष अपने छोटे भाई नान्हू उइके साथ रहता था, उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, जिसका उपचार चल रहा था। इसके तीन अन्य भाई नये घर में रहते हैं। नान्हू 2 जुलाई को जंगल की ओर गया था, शाम को करीब 7 बजे घर वापस आया तो उसकी पत्नि बताई कि जेठ दीपचंद फांसी लगा लिये हैं, इन्हें फांसी से उताकर रेवतपुर अस्पताल गये थे, यहां से रिफर करने पर होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर ले गये हैं। होलीक्रॉस अस्पताल में उपचार के दौरान 5 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करके मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या, सीएएफ के जवान को उम्रकैद

मछली नदी में गला दबाकर और पानी में डुबोकर कर दी हत्या, शव को नदी में छिपा दिया था

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने सीएएफ जवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जवान ने महिला से घटना के एक महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट भी उसी ने थाने में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान मिले तकनीकी सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे पत्नी की हत्या का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार, सरगुजा जिले के मैनपाट के कमलेश्वरपुर निवासी, सीएएफ के आरक्षक मनीष तिर्की 30 वर्ष ने 6 मार्च 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी दिव्या गुलाब कुजूर 2 मार्च से लापता है। मनीष और दिव्या ने करीब एक महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। उस समय मनीष की तैनाती सीएएफ के बस्तर बटालियन में

थी। पुलिस को मनीष ने बताया था कि उसने 11 फरवरी 2023 को दिव्या से कोर्ट मैरिज किया। दोनों परिवारों ने तय किया था कि सामाजिक रीति-रिवाज से शादी होने के बाद दिव्या ससुराल में आकर रहेगी। कोर्ट मैरिज के बाद दिव्या अपने मायके चली गई थी, लेकिन 20 फरवरी 2023 को वह अचानक पति के घर आ गई। इसके बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। 25 फरवरी 2023 को मनीष सीतापुर तहसील न्यायालय गया था, जब वह घर लौटा तो उसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि उसकी पत्नी दिव्या घर वालों को बिना बताए कहीं चली गई है।

पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि 2 मार्च 2023 को सीएएफ जवान मनीष अपनी पत्नी दिव्या को बाइक से लेकर अंबिकापुर गया था। दोनों अंबिकापुर के बस स्टैंड और गांधी चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी साथ घूमते हुए दिखाई दिए थे। जांच में पता चला कि दिव्या का मोबाइल बंद होने से पहले तक उसका और मनीष का लोकेशन एक ही जगह था। इसके बाद पुलिस ने मनीष से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि अंबिकापुर से लौटने के बाद उसने मछली नदी में दिव्या की गला दबाकर और पानी में डुबोकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को नदी में पत्थरों के बीच छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नदी से शव बरामद किया और जवान मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद इस मामले की सुनवाई पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर मनीष तिर्की को पत्नी की हत्या का दोषी माना। इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अदालत ने मनीष तिर्की को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026 ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से बिजली समस्या का हुआ त्वरित समाधान

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण से शासन की जनहितैषी और जवाबदेह कार्यप्रणाली प्रभावी रूप से परिलक्षित हो रही है।
इसी क्रम में श्री मंदीप गुप्ता द्वारा विद्युत आपूर्ति बाधित होने संबंधी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होते ही विद्युत विभाग ने तत्परता दिखाते हुए तकनीकी दल को मौके पर भेजा। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आवश्यक परीक्षण और मरम्मत कार्य कर विद्युत लाइन को शीघ्र दुरुस्त किया। इसके बाद गांव में निर्बाध बिजली आपूर्ति शुरू होने से ग्रामीणों को राहत मिली।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशानुसार जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।

नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर जनकल्याणकारी योजनाओं में लाएं अपेक्षित प्रगति : कलेक्टर

★ समय-सीमा की बैठक संपन्न ★ निर्माण कार्यों में तेजी और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के दिए निर्देश ★ लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करें सुनिश्चित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने, निर्माण कार्यों में अपेक्षित गति लाने, स्कूलों में शौचालय निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने, मानसून के मद्देनजर बांधों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने जिला स्तरीय अधिकारियों को सीएचसी, पीएचसी एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों का नियमित निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विकासखंडों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर है, वहां कार्ययोजना बनाकर लक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने शेष पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाकर कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने 9 से 12 माह के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष पात्र बच्चों का टीकाकरण पूर्ण करने करने के निर्देश दिए।
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने नवीन शौचालय निर्माण एवं शौचालय मरम्मत कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने शौचालय संबंधी निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मैदानी स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, छात्रावास एवं आश्रम भवनों के निर्माण कार्यों तथा पीएम-जनमन अंतर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन एवं बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने धीमी प्रगति वाले कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने मानसून के दृष्टिगत जिले के बांधों के जलस्तर एवं उनकी स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खाद एवं बीज की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों को वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य निर्धारित कर, अपने-अपने कार्यालयों एवं संस्थानों में पौधरोपण करने तथा लगाए गए पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वीबी जी रामजी योजना की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों को योजना से जोड़ने, जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर द्वय श्री आर.एस.लाल एवं प्रमोद गुप्ता, सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

सजेस बिश्रामपुर में शाला प्रवेश उत्सव व शाला विकास समिति गठित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय बिश्रामपुर में शाला प्रवेश उत्सव के अलावा शाला विकास समिति का गठन व बैठक का किया गया। इस अवसर पर विश्रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निर्मला यादव, विश्रामपुर नगर पंचायत उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विश्रामपुर राजेश यादव, पार्षद रविशंकर बउआ, अमरेश प्रसाद, सूरज शेट्टी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यालय की प्राचार्या सुचित्रा खलखो ने अतिथियों द्वारा स्वागत किया गया। संस्था की छात्राओं द्वारा आकर्षक संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अतिथियों ने अपने हाथों से नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत के उन्हें मिष्ठान खिलाकर पुस्तकों का वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय में पालकों की बैठक लेकर नई शाला विकास समिति का गठन किया गया, जिसमें पालकों की सहमति से श्रीमती भगमनिया सोनवानी को शाला विकास समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। 15 अन्य पालकों तथा विश्रामपुर नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों,शिक्षक, शिक्षाविद

एवं पूर्व छात्रों को भी समिति का सदस्य बनाया गया। प्राचार्या सुचिता खलखो ने शाला प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि विद्यालय के परीक्षा परिणाम में गत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें कक्षा दसवीं में गत वर्ष 72 प्रतिशत के स्थान पर इस वर्ष 95 प्रतिशत तथा कक्षा 12 वीं में 82 प्रतिशत के स्थान पर 93 प्रतिशत बच्चे सफल हुए हैं। छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने सभी के सहयोग से विद्यालय को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए आश्वासन दिया। अतिथि नपं बिश्रामपुर उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, पार्षद रविशंकर बउआ, पूर्व नपं अध्यक्ष राजेश यादव, सूरज शेट्टी व अमरेश प्रसाद ने संबोधित भी किया।
कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता सुनील सिंह ने किया तथा आभार प्रदर्शन वीरेंद्र तिवारी द्वारा किया गया।

बिश्रामपुर पुलिस ने किया पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने और धरती को हरा-भरा बनाने की दिशा में बिश्रामपुर पुलिस ने सोमवार को थाना परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर के निर्देश पर बिश्रामपुर थाना परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की सुरक्षा एवं उनके नियमित संरक्षण का भी संकल्प लिया।
थाना परिसर में आयोजित इस अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी टीआई प्रकाश राठौर ने किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। बढ़ते प्रदूषण, लगातार कम होते वन क्षेत्र और बदलते मौसम के कारण पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिसका सीधा असर मानव जीवन पर दिखाई दे रहा है। टीआई प्रकाश राठौर ने कहा कि पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आज हम अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी परिवार के सदस्य की तरह करे। पौधरोपण के दौरान थाना परिसर में छायादार एवं फलदार सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। गौरतलब है कि जिला पुलिस द्वारा एसएसपी प्रशांत सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना एवं चौकी परिसरों में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य न केवल हरित क्षेत्र बढ़ाना है, बल्कि आमजन को भी प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।

शिवनंदनपुर उपाध्यक्ष चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद पिता-पुत्र पर कार्रवाई

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। नगर पंचायत शिवनंदनपुर के उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के मत निरस्त होने से उपजे विवाद ने भाजपा जिला संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में पार्टी के दो नेताओं वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद प्रशांत अग्रवाल और उनके पिता तथा छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित किए जाने की चर्चा है। हालांकि इस संबंध में भाजपा का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा प्रत्याशी द्वारा स्वयं का मत निरस्त करा देने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी और निराशा का माहौल बन गया था। प्रदेश संगठन ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। करीब पखवाड़े बाद पिता-पुत्र पर कार्रवाई की खबर सामने आई, लेकिन जिला संगठन की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रविवार को जब इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया

गया तो कई बार कॉल करने के बावजूद उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं जिला उपाध्यक्ष संत सिंह ने कॉल रिसीव किया, लेकिन मामले की जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए बाद में पता कर बताने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया।
उधर शिवनंदनपुर चुनाव के प्रभारी एवं बेलतरा के पूर्व विधायक रजनीश सिंह ने बताया कि चुनाव में हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट प्रदेश संगठन ने मांगी थी, जिसे तैयार कर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका निर्णय प्रदेश संगठन करेगा और वही जिला संगठन को अवगत कराएगा। उन्होंने भी निष्कासन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जब पहले कारण बताओ नोटिस जारी होने की बात सामने आई थी, तब भी जिला संगठन ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया था। अब निष्कासन की खबर पर भी संगठन की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष और आम लोगों के बीच यह चर्चा है कि यदि कार्रवाई हुई है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। ज्ञात हो कि गत दिनों 19 जून को नगर पंचायत शिवनंदनपुर में उपाध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। परिषद में भाजपा के सात और कांग्रेस के आठ पार्षद निर्वाचित हुए थे। अध्यक्ष भाजपा का होने के कारण अध्यक्ष के मत सहित भाजपा के पक्ष में आठ मत होने की उम्मीद थी। लेकिन मतदान के दौरान भाजपा प्रत्याशी का ही मत निरस्त हो गया, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल गोयल उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गए। इस घटनाक्रम के बाद क्रॉस वोटिंग और कथित राजनीतिक साठगांठ को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार इसी घटनाक्रम को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए भाजपा संगठन ने पार्षद प्रशांत अग्रवाल और उनके पिता अशोक अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण पूरे मामले पर रहस्य बना हुआ है।दूसरी ओर भाजपा के सूत्रों ने ही पिता पुत्र के निष्कासित की पुष्टि की है। साथ ही बताया है कि गत दिनों 3 जुलाई को ही निलंबन का आदेश प्रदेश संगठन द्वारा जारी किया जा चुका है।

डीजीपी ने 10 वीं बटालियन का किया निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने रविवार को 10 वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां सेनानी प्रशांत कतलम ने उनका स्वागत किया। डीजीपी ने बटालियन के कार्यालय और परिसर का निरीक्षण कर

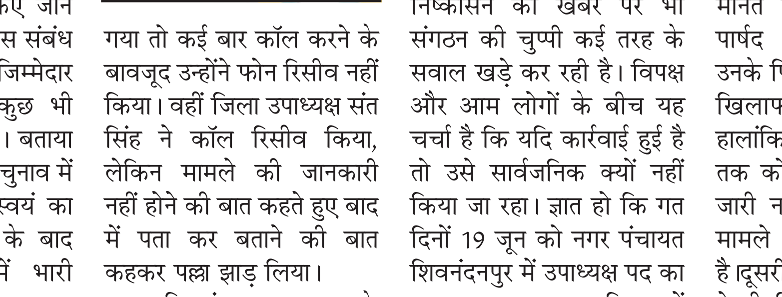

व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद आयोजित सैनिक सम्मेलन में डीजीपी ने अधिकारियों एवं जवानों की समस्याएं और सुझाव सुने तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में नक्सल समस्या समाप्ति की ओर है, ऐसे में पुलिस बल को अब औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, वीआईपी एवं वीवीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आगजनी की घटनाओं तथा साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी बटालियनों में रिफ्रेशर कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इनमें साइबर अपराध, नई तकनीक, फायर ब्रिगेड संचालन और अन्य आवश्यक कौशल से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल किया जा रहा है। डीजीपी ने वाहिनी में सेनानी की पहल पर संचालित कल्याणकारी गतिविधियों, प्रयास पुलिस बैंड, बच्चों के लिए विकसित चौपाटी, वाटर फाउंटेन और अन्य मनोरंजन सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें चॉकलेट भी वितरित किए। इस दौरान डीजीपी अरुण देव गौतम ने पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर तथा 10 वीं वाहिनी के सेनानी प्रशांत कतलम के साथ मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कनकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर पुलिस परिवार और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।
कार्यक्रम के अंत में सेनानी प्रशांत कतलम ने डीजीपी को स्मृति चिन्ह भेंटकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उप सेनानी बीआर भगत, सहायक सेनानी केसी टोप्पो, बीपी सिंह, सुधीर कुजूर, राम बहादुर शर्मा, सीसी पंकज तिवारी, सुशील तिवारी, प्रमोद सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

खदानें बंद होते ही कुमदा में पसरा सन्नाटा, उजड़ने लगी कभी गुलजार रही कोयला नगरी

रोजगार पर संकट, बंद खदानों को एमडीओ मॉडल से शुरू करने पर मंथन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की कुमदा 7/8 और बलरामपुर भूमिगत खदानों के बंद होने के बाद पूरे कुमदा क्षेत्र की तस्वीर तेजी से बदल गई है। करीब एक वर्ष से अधिक समय से बंद पड़ी इन दोनों खदानों से न केवल कोयला उत्पादन रोका गया है, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर भी गहरा असर डाला है। कभी हजारों लोगों की आवाजाही और चहल-पहल से गुलजार रहने वाला कुमदा क्षेत्र आज वीरानी की ओर बढ़ रहा है। बाजार में ग्राहकों की संख्या घट गई है, कॉलोनियां खाली होती जा रही हैं और स्थानीय व्यापारियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। कुमदा 7/8 और बलरामपुर खदानें वर्ष 1990 के दशक में अपनी आधुनिक लॉन्गवॉल परियोजना के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय रही थीं। उस समय इन खदानों को भूमिगत कोयला खनन की आधुनिक तकनीक का उदाहरण माना जाता था। लेकिन लगातार घाटे और उत्पादन संबंधी चुनौतियों के कारण एसईसीएल प्रबंधन ने दोनों खदानों का संचालन बंद कर दिया।खदान बंद होने के बाद यहां कार्यरत सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला एसईसीएल के अन्य खदानों में कर दिया गया। इसके अलावा हर माह बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से भी कॉलोनियां लगातार खाली होती जा रही हैं। प्रबंधन द्वारा बनाए गए लगभग एक हजार आवासों में से सैकड़ों क्वार्टर अब वीरान पड़े हैं। इन खाली मकानों से खिड़कियां, दरवाजे, लोहे की ग्रिल, नल-फिटिंग और अन्य सामग्री चोरी होने लगी है। कई मकान अब पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि खदान बंद होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर हो गई है। खदान परिसर, वर्कशॉप और स्टोर में रखी करोड़ों रुपए मूल्य की लॉन्गवॉल और शॉर्टवॉल मशीनें वर्षों से खुले में पड़ी जंग

खा रही हैं। वहीं केबल, विद्युत उपकरण और अन्य मशीनरी की चोरी भी लगातार हो रही है। आरोप है कि कई मामलों में प्रबंधन पुलिस को सूचना तक नहीं देता, जिससे चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है।
खदानों के बंद होने का सबसे बड़ा असर स्थानीय व्यापार पर पड़ा है। कुमदा का श्रीराम चौक जो कभी सुबह से देर रात तक लोगों की आवाजाही से गुलजार रहता था, अब अधिकांश समय सुनसान दिखाई देता है। छोटे कारोबार करने वाले व्यापारियों की आय में भारी गिरावट आई है। कई व्यापारी अपना कारोबार समेटकर दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं, जबकि कुछ अब भी इस उम्मीद में डटे हैं कि भविष्य में खदानें दोबारा शुरू होंगी।

एमडीओ और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर विचार

सूत्रों के अनुसार एसईसीएल प्रबंधन कुमदा 7/8 और बलरामपुर खदानों को पुनः चालू करने के लिए एमडीओ अथवा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर गंभीरता से विचार कर रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधन ने दोनों खदानों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध कोयला भंडार और संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी कंपनी मुख्यालय को भेजी है। मुख्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव पर मंथन जारी है।

निजी कंपनियों के भरोसे क्षेत्र का उत्पादन

बिश्रामपुर क्षेत्र में कुल सात खदानें हैं, जिनमें पांच भूमिगत और दो खुली खदानें शामिल हैं। कुमदा 7/8 और बलरामपुर खदान बंद हैं, जबकि रेहर भूमिगत खदान का संचालन एसईसीएल स्वयं कर रहा है, जहां प्रतिदिन लगभग 100 से 200 टन कोयला उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा गायत्री, केतकी, आमगांव और अमेरा खदानों में निजी कंपनियों के माध्यम से कोयला उत्पादन जारी है, जिससे क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियां किसी हद तक बनी हुई हैं। क्षेत्र में दो हजार से अधिक कामगार उपलब्ध होने के बावजूद एसईसीएल द्वारा स्वयं खदानों का संचालन नहीं कर पाना कई सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का मानना है कि यदि बंद खदानों को जल्द पुनः चालू नहीं किया गया तो कुमदा क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और अधिक प्रभावित होगी।

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्याएं

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। आमजनों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक के पश्चात जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में मांग व शिकायत के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए जिसमें आमजनों द्वारा विभिन्न विषयों संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये गए। प्राप्त आवेदनों का कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन में पहुंचे नागरिकों को मिला फलदार पौधों का उपहार

जनदर्शन के पश्चात् कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर एवं वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक बाजपेई ने जनदर्शन में आए ग्रामीणजनों को अमरूद, कटहल सहित विभिन्न फलदार पौधों का वितरण किया तथा पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

नकटी में विधायक कॉलोनी का प्रस्ताव नहीं , कांग्रेस भड़का रही है भावनाएं - अनुराग सिंह

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राजधानी रायपुर के माना स्थित नकटी गांव में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने प्रेसवार्ता कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि नकटी में विधायक कॉलोनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और जिस भूमि को लेकर विवाद हो रहा है, वह हाउसिंग बोर्ड की नहीं, बल्कि राजस्व विभाग के अधीन शासकीय भूमि है।

'जमीन हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित ही नहीं हुई'

अनुराग सिंह ने बताया कि नकटी की संबंधित जमीन अभी तक हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित नहीं की गई है। यह पूरी तरह राजस्व विभाग के अधीन है। उनके मुताबिक वर्ष 2022 में करीब 3 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण था, जबकि 2023-24 के दौरान शेष जमीन पर भी अवैध कब्जे कर लिए गए। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी इस भूमि को शासकीय भूमि मान चुका है। अनुराग सिंह के अनुसार, कुछ अतिक्रमणकारियों ने 29 हजार वर्गफीट तक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।

कांग्रेस पर गंभीर आरोप, 'बलौदाबाजार दोहराने की कोशिश

'हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ने कांग्रेस पर लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर बलौदाबाजार जैसी स्थिति दोहराने की कोशिश कर रही है। अनुराग सिंह ने कहा कि नकटी मामले को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि तथ्यों के आधार पर ही स्थिति को समझा जाए और किसी अफवाह पर विश्वास न करें।'

भूपेश सरकार में भी हटे थे अतिक्रमण, 61 विधायकों को मिली थी जमीन'

अनुराग सिंह ने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि छेड़ीखेड़ी क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। उस समय करीब 150 कब्जाधारियों को हटाया गया था। इसके बाद 61 विधायकों को जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने याद दिलाया कि उस दौरान सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन में एक किसान की मौत भी हुई थी।

क्या है नकटी विवाद

माना-तूता क्षेत्र के नकटी गांव में प्रशासन ने हाल ही में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद ग्रामीणों और कुछ संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। आरोप लगा कि यहां विधायक कॉलोनी बनाने के लिए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष के बयान के बाद अब प्रशासन का पक्ष सामने आया है। राजस्व विभाग के अनुसार नकटी की विवादित भूमि खसरा नंबर में शासकीय दर्ज है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की जा रही है। पात्र विस्थापितों के पुनर्वास के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती पर विधायक ने लगाए फलदार पौधे

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ध्यानचंद गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 वीं जयंती के अवसर पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नकना घुटरी स्थित शिव मंदिर प्रांगण में हुए कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक भूलन सिंह मरावी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

'एक पेड़ मां के नाम' की अपील

विधायक भूलन सिंह मरावी ने फलदार व औषधीय पौधों का रोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को गति देते हुए सभी से अपील की कि अपनी निजी भूमि अथवा शासकीय भूमि पर एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं।

ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पवन सिंह, वन परिक्षेत्राधिकारी पूजा यादव, बीएमओ डॉ. प्रियंका शर्मा सहित भाजपा, भाजयुमो तथा विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी-कार्यकर्ता मौजूद थे। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई।

शाला प्रवेश उत्सव में विधायक ने बच्चों का किया तिलक-माला से स्वागत, शिक्षकों को दी नसीहत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। विकासखण्ड के ग्राम पटना में संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव विधायक भूलन सिंह मरावी के आतिथ्य में मनाया गया। कक्षा पहली, छठवीं और नवमी के नवप्रवेशी बच्चों का तिलक, माला और मिष्ठान से स्वागत कर विधिवत शाला प्रवेश कराया गया। बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए विधायक भूलन सिंह मरावी ने कहा कि ₹जिस उत्साह के साथ समारोह आयोजित कर बच्चों को शाला प्रवेश कराया जा रहा है, यह उत्साह बच्चों के शैक्षणिक जीवन में बनी रहे। कड़ी मेहनत कर अच्छी शिक्षा लेकर अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा क्षेत्र का नाम रोशन करें। विधायक ने शिक्षकों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही न बरतें और बच्चों के स्तर में गुणात्मक सुधार कर अच्छे परिणाम दें। कार्यक्रम में 12 मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष रेखा राजवाड़े, सरपंच विमला सिंह, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्राणपती सिंह, बीईओ अवधेश साहू, बीआरसी मनोज जायसवाल, प्राचार्य भगवान ठाकुर, प्रधानपाठक रूकमणि सिंह, नारायण सिंह, दशरथ यादव सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं, जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

महामाया मालवीय मिशन ने सहयोगियों का किया गया सम्मान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। मालवीय मिशन, सरगुजा द्वारा संस्था के प्रमुख सहयोगियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अनिल सिंह बठ्ठर, के.एन. सिंह, राजकुमार गुप्ता तथा राधे अग्रवाल को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गीता पाठ एवं संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ।

'चित्र से नहीं, चरित्र से पहचान'

अध्यक्षता करते हुए संस्था अध्यक्ष ब्रह्माशंकर सिंह ने कहा कि ₹व्यक्ति और व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान उसके चित्र से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है।₹ उन्होंने अनिल सिंह बठ्ठर के सेवा-भाव की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वार से कोई जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटता। राजकुमार गुप्ता के समय, श्रम और सामग्री के सहयोग को अमूल्य बताया। राधे अग्रवाल ने अपने प्रतिष्ठान से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई, जो उनके दादा, सरगुजा के प्रतिष्ठित समाजसेवी की स्मृति में है। के.एन. सिंह द्वारा माइक्रोफोन सेट भेंट करने की घोषणा का स्वागत हुआ।

12 साल से हर रविवार गीता पाठ

पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य हरिशंकर त्रिपाठी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने उद्योगपतियों के सहयोग से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। संस्था द्वारा विगत बारह वर्षों से प्रत्येक रविवार नियमित गीता पाठ किया जा रहा है। इस सप्ताह छठे अध्याय का पाठ हुआ। दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि समर्थ व्यक्ति द्वारा जरूरतमंदों का सहयोग भी यज्ञ और पूजा है।

'कार्यों से होती है संगठन की पहचान'

संचालन कर रहे प्रकाश कश्यप ने बताया कि मिशन गीता पाठ, आध्यात्मिक संगोष्ठी, परिवार प्रबोधन, साहित्यिक गतिविधियाँ, वृक्षारोपण और व्याख्यानमाला जैसे रचनात्मक कार्यक्रम चला रहा है। डॉ. वी.के.सिंह ने कहा कि संगठन की पहचान उसके कार्यों से होती है। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती पूनम दूबे की सरस्वती वंदना से हुआ। रणविजय सिंह तोमर ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ललित मोहन तिवारी, राम नारायण शर्मा, जय प्रकाश चौबे, श्याम बिहारी पांडेय, के.डी.दुबे, जय कुमार गुप्ता, हरिशंकर सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

'टी संवर्ग' के व्यायाम शिक्षको का शिक्षा और ट्राइबल विभाग के फेर में अटका भविष्य

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राज्य शासन द्वारा आगामी 15 अगस्त तक सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का सर्कुलर जारी किया जा चुका है। इस निर्देश के बाद जहां एक ओर शासकीय कर्मचारियों में उम्मीद जगी है, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जहां 'टी संवर्ग' के व्यायाम शिक्षक पिछले 35 वर्षों से प्रमोशन की राह देख रहे हैं। विभागीय असमंजस की स्थिति ऐसी है कि इन शिक्षकों को आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वे मूलतः किस विभाग के दायरे में आते हैं। आपको बता दें कि साल 2015 में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन आने वाले समस्त विद्यालयों का अपने में विलय कर लिया था। इसके बाद ट्राइबल क्षेत्र के स्कूलों के लिए एक अलग कैडर बनाया गया, जिसे 'टी संवर्ग' नाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के लगभग 18 जिलों और कई विकासखंडों में यह संवर्ग प्रभावी है। मर्जर के बाद शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक, उच्च वर्ग शिक्षक, हेडमास्टर और व्याख्याताओं को प्राचार्य के पदों पर पदोन्नत कर दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में व्यायाम शिक्षकों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। आलम यह है कि पदोन्नति के समय शिक्षा विभाग इन्हें 'टी संवर्ग' का बताकर पल्ला झाड़ लेता है, वहीं दूसरी ओर आदिम जाति कल्याण विभाग यह कहकर जिम्मेदारी से मुकर जाता है कि ये अब उनके कर्मचारी नहीं हैं।

समझौते के कागज पर ही रह गए नियम

सूत्रों के मुताबिक, 2015 में जब दोनों विभागों के आपसी समन्वय से स्कूलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी, तब समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि व्यायाम शिक्षकों की समस्त पदस्थापना एवं पदोन्नति पूर्व की तरह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ही की जाएगी। वर्तमान जमीनी हकीकत यह है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के पास अब केवल खेल परिसर और आश्रम ही बचे हैं,

रंग लाया खेत बचाओ अभियान, हरी खाद ढेंचा से सुधर रही मिट्टी की सेहत, किसान नरेंद्र सिंह ने दिखाई राह

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए हरी खाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेत बचाओ अभियान के तहत उदयपुर विकासखंड के ग्राम केशगंवा के प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह ने 4 एकड़ खेत में ढेंचा लगाकर प्राकृतिक खेती की मिसाल पेश की है। किसान नरेंद्र सिंह ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने और मिट्टी की उर्वराशक्ति बढ़ाने के लिए कृषि विभाग की सलाह पर

ढेंचा की खेती की। फूल आने से पहले ढेंचा को खेत में पलट दिया है। यह सड़कर जैविक खाद बन जाएगी और इसी खेत में धान की खेती करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ढेंचा जैसी दलहनी हरी खाद की फसलें वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी में उपलब्ध कराती हैं। साथ ही फास्फोरस, जिंक व आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ती है। ढेंचा के सड़ने से बनने वाला ह्यूमस मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे हवा और पानी का संचार बेहतर होता है। जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं और फसल स्वस्थ व उत्पादक बनती है। जैविक पदार्थ स्पंज की तरह काम कर मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनाए रखते हैं, जिससे सिंचाई की जरूरत कम होती है और सूखे में भी फसल को लाभ मिलता है। ढेंचा की सघन वृद्धि खरपतवार को भी प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करती है।

तीन सौ एकड़ की वनभूमि को कब्जा मुक्त कराने चला अभियान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सोमवार को वन विभाग ने जिले के ग्राम पंचायत बड़सरा के पतेरापारा स्थित लगभग 300 एकड़ आरक्षित वन भूमि पर किये गए अतिक्रमण मुक्त कराने अभियान चलाया है। करीब 30 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर टटिया से घेरे गए क्षेत्र से लगभग 15 टटिया हटाई और ग्रामीणों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की समझाइश दी। साथ ही चेतावनी दी गई कि अतिक्रमण नहीं हटाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वन विभाग की इस लीपापोती वाली इस कार्यवाही का कोई असर ग्रामीण अतिक्रमणकारियों पर नजर नहीं आया. वन विभाग की भूमि पर लगे हजारों पौधे जो वृक्ष का रूप धरने लगे थे को काट दिया गया है. कब्जा करने की होड़ सी मची हुई है और कई लोग खेती भी कर रहे हैं। वन विभाग के अनुसार अभियान के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को आरक्षित वन भूमि पर कब्जा या घेराबंदी नहीं करने के निर्देश दिए। अतिक्रमित हिस्से से टटिया हटाने के बाद दोबारा बाड़ नहीं लगाने की हिदायत भी दी गई। यह कार्रवाई वन मंडलाधिकारी के मार्गदर्शन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में की गई। विभागीय जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में आरक्षित वन भूमि के 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर कब्जा है। इस क्षेत्र में करीब छह मकान बनाए गए हैं, जबकि लगभग 20 एकड़ भूमि पर खेत तैयार कर धान की खेती की जा रही है। वन विभाग का दावा है कि इसी भूमि पर पूर्व में लगभग 40 हजार पौधों का रोपण किया गया था। वन विभाग ने बताया कि मार्च 2026 में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील साहू की शिकायत पर वन भूमि पर अतिक्रमण के आरोप में 11 ग्रामीणों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। मामला वर्तमान में न्यायालय में लंबित है तथा न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगे बेदखली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़-झारखंड रेल कनेक्टिविटी पर संकट, 65 एकड़ रेलवे भूमि पर कब्जे का आरोप, बलरामपुर में पुराने रूट की मांग तेज

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने वाली प्रस्तावित अंबिकापुरझचिरमिरीझबरवाडीह रेल लाइन के रूट में बदलाव को लेकर विरोध शुरू हो गया है। 1 जुलाई को बलरामपुर-झारखंड सीमा पर स्थित बड़गड़ के राजकीय मध्य विद्यालय में रेल लाइन निर्माण संघर्ष समिति की बैठक हुई। बड़गड़, भंडरिया सहित क्षेत्र के ग्रामीणों और प्रबुद्ध नागरिकों ने पुराने प्रस्तावित मार्ग को बदलकर नए रूट से निर्माण के निर्णय का पुरजोर विरोध किया।

'विकास की आधारशिला है यह परियोजना'

समिति के जयप्रकाश मिंज ने कहा कि यह पिछड़े क्षेत्र के विकास की आधारशिला है। रूट बदलने से आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र मुख्यधारा से कट जाएगा। आनंद सोनी ने बताया कि पुराने मार्ग का

सर्वे हो चुका है, अब नया रूट तय करना भावनाओं से खिलवाड़ है। मनोज कुमार राज ने कहा कि इससे शिक्षा, रोजगार, व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

क्षेत्रवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है

बैठक को संबोधित करते हुए आनंद सोनी ने कहा कि पुराने प्रस्तावित रेल मार्ग के लिए वर्षों पहले सर्वेक्षण (सर्वे) सहित कई आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी थीं। अब अचानक नया रूट तय करना क्षेत्रवासियों की भावनाओं के साथ सरासर खिलवाड़ है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से पुराने प्रस्तावित मार्ग को बहाल कराने के लिए प्रभावी पहल करने की मांग की। वहीं, मनोज कुमार राज ने कहा कि इस क्षेत्र को परियोजना से अलग करने पर स्थानीय शिक्षा, रोजगार, व्यापार और समग्र विकास पर दूरगामी और नकारात्मक असर पड़ेगा। संदीप गुप्ता ने कहा कि यह लड़ाई पूरे क्षेत्र के भविष्य की है और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

65 एकड़ रेलवे भूमि पर कब्जे का आरोप

बलरामपुर के श्रीकांत सिंह, राजदेव मिंज और मंगरहारा सरपंच उदय कुमार राम ने बताया कि सरनाडीह गांव में प्रस्तावित रेलवे जंक्शन के लिए लगभग 65 एकड़ रेलवे भूमि आज भी ऑनलाइन अभिलेखों में रेलवे के नाम दर्ज है। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और राजनीतिक रसूख से पुराने मार्ग में बाधा डाली जा रही है। मामला कलेक्टर को बताया गया है और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

आंदोलन होगा तेज

बैठक में तय हुआ कि पुराने प्रस्तावित मार्ग से ही निर्माण के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

सुशासन तिहार में 42 शिविरों से 53 नए टीबी मरीज मिले, तत्काल इलाज शुरू, पंचायतें बनीं निक्षय मित्र

अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन में सुशासन तिहार के दौरान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को नई गति मिली है। 01 मई से 10 जून 2026 तक जिलेभर में 42 विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर टीबी की शीघ्र पहचान, उपचार और जनजागरूकता का काम व्यापक स्तर पर किया गया। जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लगे 42 शिविरों में 5,890 व्यक्तियों की डिजिटल एक्स-रे जांच हुई, जिसमें 30 मरीजों में टीबी की पुष्टि हुई। वहीं 538 बलगम जांच में 23 मरीज टीबी पॉजिटिव मिले। इस तरह कुल 53 नए टीबी मरीजों की पहचान कर तत्काल उपचार शुरू कराया गया। अभियान में जांच, उपचार व फॉलोअप की सतत मॉनिटरिंग की गई। निक्षय पोषण योजना के तहत 40 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने निक्षय मित्र बनकर उपचाररत 38 टीबी मरीजों को फूड बास्केट प्रदान किए।

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण आजकल काफी चर्चा में है। इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और श्रद्धा पर गहरी चोट पहुंची है। सवाल उठता है कि इस मामले में कहां चूक हुई और क्या किया जाना चाहिए था, जिसका पालन नहीं हो पाया? आखिर प्रबंधन को लेकर ऐसी क्या व्यवस्था बनाई जाए, जिससे मंदिरों के कामकाज में पारदर्शिता आए, जबकि भारत के अनेक प्रमुख मंदिरों खास तौर पर दक्षिण के प्रबंधन इतने अच्छे हैं कि उनमें ज्यादा परिवर्तन या हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। आज भी वहां समितियों की बैठकें होती हैं और उनके अनुसार निर्णय भी होते हैं। उनकी प्रबंधन समितियां बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं और दान का प्रबंधन करती हैं। उत्तर भारत के मंदिर इनसे क्या सबक ले सकते हैं? सभी बड़े धार्मिक संस्थान में दान प्रबंधन को लेकर समय-समय सार्वजनिक जानकारी, नियमित ऑडिट और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग से भ्रम की स्थिति को कम किया जा सकता है। हालांकि राम मन्दिर चन्दा मामले की जांच संबंधित राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही है। दूसरी ओर, क्या राममंदिर चढ़ावा चोरी विवाद भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से प्रभावित करेगा। यदि हां तो कितना और नहीं तो क्यों नहीं? *इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

सरकारी व्यवस्था से परे हो मंदिर प्रबंधन

विश्लेषण

अवधेश कुमार

वरिष्ठ स्तंभकार

> **काफी समय से मंदिरों के प्रबंधन को लेकर देश में लगातार बहस और विमर्श चल रहा है। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका भी पड़ी हुई है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी के बाद इस विषय को एक बहुत बड़े वर्ग ने नए सिरे से गर्म करने की कोशिश की है। इनमें नेताओं, निहित स्वार्थी तत्वों, मंदिरों के महत्व से अनभिज्ञों आदि की बड़ी संख्या शामिल है। हालांकि संपूर्ण इतिहास में किसी धार्मिक स्थल की कोई भी व्यवस्था शत- प्रतिशत बेईमानी, पाप, भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हुई हो इसके उदाहरण न के बराबर हैं। प्रश्न यही है कि आखिर श्रेष्ठतम व्यवस्था क्या हो सकती है? मंदिरों के आविर्भाव के साथ भारत में इसकी स्थापित परंपराएं हैं।**

पिछले काफी समय से मंदिरों के प्रबंधन को लेकर देश में लगातार बहस और विमर्श चल रहा है। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका भी पड़ी हुई है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी के बाद इस विषय को एक बहुत बड़े वर्ग ने नए सिरे से गर्म करने की कोशिश की है। इनमें नेताओं, निहित स्वार्थी तत्वों, मंदिरों के महत्व से अनभिज्ञों आदि की बड़ी संख्या शामिल है। हालांकि संपूर्ण इतिहास में किसी धार्मिक स्थल की कोई भी व्यवस्था शत- प्रतिशत बेईमानी, पाप, भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हुई हो, इसके उदाहरण न के बराबर हैं। हां, ऐसा करने वालों को दंड, पाप मोचन तथा सुधार की व्यवस्था सतत् रही है।

इसके बावजूद हमारे मंदिर हर दृष्टि से धार्मिक मान्यताओं और हमारी आस्थाओं के अनुरूप पावन पुण्य स्थल बन रहें, श्रद्धालुओं के मन में वहां से जीवन में शुचिता, नैतिकता, सेवा, दान व ईमानदारी की प्रेरणा मिले इसके लिए मनुष्य के रूप में जितना संभव है, श्रेष्ठतम व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न यही है कि आखिर श्रेष्ठतम व्यवस्था क्या हो सकती है? मंदिरों के आविर्भाव के साथ भारत में इसकी स्थापित परंपराएं हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हमारे मंदिर केवल कर्मकांड, पूजा- पाठ व दर्शन के केंद्र नहीं थे। मंदिरों की भूमिका समाज के मुख्य शक्ति केंद्र के रूप में भी थी। आज भी प्रमुख मंदिरों द्वारा शिक्षालय, अस्पताल, औषधालय,योग आश्रम, विचार प्रसार केंद्र, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रकाशन, मुफ्त भोजनालय, समाज के निर्धन निराश्रित लोगों की सहायता सेवा आदि संचालित होते हैं।

यह उसी परंपरा का अंग है। ज्यादातर मंदिर ऐसा करते हुए प्रचार-प्रसार में नहीं पड़ते ते इसलिए दुनिया में ईसाई मिशनरियों ने ही यह भाव फैलाया है कि दान, गरीबों की सेवा, मनुष्य को शिक्षित करने की भूमिका केवल वही निभाते हैं। यह सरासर झूठ है। साफ है कि अगर मंदिरों के प्रबंधन की बात करें तो उसके पूरे व्यापक आयाम को ध्यान में रखकर ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

समाज और सत्ता का समन्वय

राजा या वैभवशाली, संपन्नशाली लोग मंदिर अवश्य बनवाते थे और प्रबंधन में उनकी भूमिका भी होती थी, पर संपूर्ण निजी मंदिरों को छोड़कर नियंत्रण जैसी स्थिति नहीं रही। उसके संपूर्ण विधि विधान ही नहीं, प्रबंधन की विधियां भी धर्म क्षेत्र - द्वारा ही निर्धारित होती थी। मंदिर के प्रबंध का सूत्र समाज क्षेत्र और सत्ता तंत्र के समन्वय से होता था। दक्षिण में आगमों के द्वारा मंदिर के पूजा विधान तय होते थे। समाज की समितियां कई बार जिसे सभा - महासभा कहते थे जिनमें विद्वान बुजुर्ग आदि होते थे, प्रतिदिन की व्यवस्था संभालते थे। आज भी हम दक्षिण के कुछ मंदिरों के अंदर धन देख, सुनकर चकित होते हैं और कई प्राचीन राज परिवार अभी भी मंदिरों की प्रमुख भूमिका में हैं। पर उनका नियंत्रण नहीं है। भाव यही है कि हम केवल उस धन के न्यासी हैं, उनमें से रति भर भी स्वयं के लिए उपयोग करने का अधिकार हमें नहीं है।

संपूर्ण देश के लिए एक संरचना उपयुक्त नहीं

वस्तुतः मंदिरों को सरकारी व्यवस्था, ट्रस्ट तंत्र के हवाले करना सच कहें तो धार्मिक विधान के ही विपरीत है और उससे उसकी मूल स्वायत्तता दुष्प्रभावित हो जाती है। झूठे वही खाता बनाने पड़ते हैं। दूसरे, संपूर्ण देश के लिए कोई एक संरचना उपयुक्त नहीं हो सकती।

यह भी ध्यान रखिए कि भारत के अनेक प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन इतने अच्छे हैं कि उनमें ज्यादा परिवर्तन या हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। आज भी समितियों की बैठकें होती हैं और उनके अनुसार निर्णय भी होते हैं। मूल बात हिंदू समाज के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की है जो आगे बढ़ रही है। अच्छा हो कि धर्म तंत्र, धार्मिक विशेषज्ञ, समाज क्षेत्र में इसके अन्य ज्ञाता, आस्थावान इतिहासकार सब मिलकर धार्मिक विघ्नों एवं परंपराओं के आरोप स्थानीय स्थान पर व्यवस्था बनाएं। मंदिरों के महत्व, उनकी व्यवस्था को न जानने वाले निहित स्वार्थी तत्वों के हल्ला बोल में पड़ने की आवश्यकता नहीं।

चैरिटेबल सोसायटी एक्ट

यह भी समझने की आवश्यकता है कि भारत में विविधताओं के बीच मूल भाव एक ही रहा है किंतु स्थानीय प्रकृति , परंपरा, रीति - रिवाज , धार्मिक आस्थाएं, ज्ञान आदि के अनुसार ही मंदिरों के प्रबंधन होते थे। हजार वर्षों के आक्रमणों, परकीय शासनों के कारण समस्याएं पैदा हुई और

स्वतंत्रता के बावजूद जीवन का मूल होते हुए भी समाज की प्राथमिकता में नहीं रहा। बावजूद आज भी प्रमुख मंदिरों की व्यवस्था अपनी स्थापित परंपरा के अनुसार अभी भी काफी हद तक उपयुक्त और प्रेरणादायी हैं। दरअसल, अंग्रेजों ने भारत को हर दृष्टि से गुलाम करने के लिए 1860 में चैरिटेबल सोसायटी एक्ट बनाया तथा सभी के लिए इस कानून के तहत निबंधन अनिवार्य किया। इस एक कानून ने पूरे भारत में मंदिरों से लेकर सेवा परंपराओं सहित दान शालाओं, शिक्षा शालाओं की प्रकृति को ही विकृत कर दिया। आज भी ऐसे सरकारी विभागों की दशा कैसी है, वे कैसा व्यवहार करते हैं यह अनुभव दिल दहलाने वाला है।

व्यवस्था में भ्रष्टाचार का दलदल

कम से कम इस तरह के प्रबंधन से मंदिरों की स्वतः स्फूर्त सुधार व्यवस्था के साथ-साथ पूरा कर्मकांड तक दुष्प्रभावित होता है। राज्यों के धार्मिक न्यास बोर्डों के हस्तक्षेप के कारण धार्मिक, सत्यनिष्ठ, नैतिक लोगों के लिए भी मंदिर का संचालन कठिन हो जाता है। मंदिरों में तात्कालिक कई खर्च

ऐसे होते हैं जो दे दिए पर उनका हिसाब-किताब रखना कठिन होता है। कई बार कुछ निर्माण होते हैं जिनके सम्पूर्ण व्यय को लिखना लगभग असंभव होता है।

न्यास बोर्डों को उनके फॉर्मेट के अनुरूप के साथ हिसाब - किताब चाहिए होता है। इनको पुजारी की नियुक्ति से लेकर प्रबंधन तक में हस्तक्षेप का अधिकार कई राज्यों में है। इस कारण पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई। हिंदू समाज के पतन के कारण गांवों व शहरों के बड़ी संख्या में मंदिरों की संपत्तियों पर स्थानीय लोगों, बाहुबलियों और प्रभावी लोगों का कब्जा हो गया है और मंदिर पतन की अवस्था में हैं।

निगरानी, जवाबदेही और पूर्ण पारदर्शिता जरूरी

व्यवस्था

सुशील देव

स्वतंत्र पत्रकार

सनातन संस्कृति में कोई भी मंदिर लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक होता है। मगर जब मंदिरों की कुव्यवस्था को लेकर स्वर उठने लगते हैं तो आस्था, विश्वास और श्रद्धा पर गहरी चोट पहुंचती है। अयोध्या के राम मंदिर में यही हुआ है। दान की चोरी का मामला बेहद निंदनीय है। करोड़ों लोगों की आस्था, लंबे संघर्ष और सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष के बाद यह मंदिर दोबारा अस्तित्व में आया था। यह मंदिर केवल धर्म-अध्यात्म का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए दान में चोरी का मामला वित्तीय अनियमितता से ज्यादा गंभीर है। अयोध्या का राम मंदिर मामला इन दिनों सुर्खियों में है। हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। चढ़ावे या चंदे की लूट की चर्चा धर्मानुरागियों को आहत कर रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह एक असाधारण और अति निंदनीय घटना है, जिसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मंदिर प्रबंधन और सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की। इससे राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। पूछताछ और जांच की कार्रवाई चल रही है। राम मंदिर में चढ़ावा की जांच कर रही एसआईटी टीम ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पिछले पांच सालों के खातों को फिर से आडिट करेगा, क्योंकि शुरूआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो कई बार चढ़ावे या चंदा गबन के कारण चर्चा में रहे हैं। ऐसे में न केवल उन मंदिरों के प्रबंधन को भी चुस्त—दुरूस्त रहना चाहिए, बल्कि स्थानीय प्रशासन और सरकार को निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया था। तभी से मंदिर में बड़ी मात्रा में चढ़ावा आ रहा है। साल 2024-25 में मंदिर ट्रस्ट ने कुल 327 करोड़ रुपए की आमदनी बताई थी, जिसमें 153 करोड़ चढ़ावे के रूप में मिली थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान पात्रों से लगभग 7 करोड़ से ज्यादा रुपए का गबन हुआ है। इन आरोपों से पूरी अयोध्या में राजनीतिक भूचाल आ गया। इसके बाद भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कथित चंदा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कथित चंदा चोरी जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी ने कैश हैंडलिंग प्रक्रिया और डोनेशन बॉक्स की जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाला और वहां के कर्मचारियों से बात की तो कई विरोधाभास नजर आया। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई। नतीजतन, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुछ कर्मचारियों सहित आठ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी कारण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूरी कहानी से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में आस्था, विश्वास और श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ा, उनसे जो चढ़ावा मिला, उसे मंदिर ट्रस्ट सही रूप से व्यवस्थित रखने में नाकाम साबित हुआ। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट को मई अंतिम सप्ताह में ही कथित चंदा चोरी की भनक लगी थी, जब बैंकों में जमा हो रही रकम और दान पेटियों में कम चढ़ावा मिलने का शक हुआ था। उसके बाद वहां हिडन कैमरे लगा दिए थे और चौकसी बढ़ा दी गई थी। बावजूद इसके, कुछ लोभी प्रवृत्ति के लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। यह घोटाला अब सरकार और जनता की अदालत से आगे कानून की अदालत तक पहुंच चुका है। इस मामले में चाक-चौबंद व्यवस्था होती तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। राम मंदिर में अब तक जो भी दान प्राप्त हुआ, वह करोड़ों लोगों की आस्था की अमानत है।

> **धार्मिक संस्थान में दान प्रबंधन को लेकर समय-समय सार्वजनिक जानकारी, नियमित ऑडिट और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग से भ्रम की स्थिति को कम किया जा सकता है। सनद रहे कि मंदिर चढ़ावा विवाद का असर बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर पर भी पड़ा है।**

दान राशि के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। श्रद्धालुओं को नियमित रूप से यह जानकारी मिलनी चाहिए कि कितनी राशि प्राप्त हुई और उसका उपयोग किन कार्यों में किया जा रहा है। इसके लिए स्वतंत्र ऑडिट, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, सार्वजनिक आय-व्यय विवरण और डिजिटल दान प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी पूंजी लोगों का विश्वास होता है और यह विश्वास पारदर्शिता एवं नियमित संवाद से ही मजबूत होता है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने दलील दी है कि तमाम आरोप निराधार हैं। मंदिर निर्माण और दान राशि का पूरा लेखा-जोखा निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर रखा जा रहा है। अब तक सभी वित्तीय लेनदेन कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों के आधार पर किए गए हैं। जबकि विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दान राशि और भूमि खरीद से जुड़े कुछ मामलों पर पारदर्शिता बढ़ाने तथा स्वतंत्र जांच की लगातार मांग की जा रही है। सभी बड़े धार्मिक संस्थान में दान प्रबंधन को लेकर समय-समय सार्वजनिक जानकारी, नियमित ऑडिट और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग से भ्रम की स्थिति को कम किया जा सकता है। सनद रहे कि मंदिर चढ़ावा विवाद का असर बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर पर भी पड़ा है।

लोकहित में व्यय की जाए दान की रकम

मंथन

उमेश चतुर्वेदी

वरिष्ठ पत्रकार

अयोध्या के श्रीरामलला मंदिर के चढ़ावे की चोरी के खुलासे के बाद दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रबंधन की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। समाज के एक वर्ग की ओर से उत्तर भारत के मंदिरों को भी सबक लेने और उनकी ही तर्ज पर प्रबंधन चलाने की मांग उठ रही है। इसकी वजह यह है कि दक्षिण भारत के बड़े मंदिरों, तिरूपति, अयप्पा, सबरीमाला, मीनांबकम् आदि के चढ़ावे की हेराफेरी की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उसे उचित बैंक तक पहुंचाने का भी तकरीबन वैसा ही इंतजाम किया गया है, जैसा शिरड़ी के साईं मंदिर या दक्षिण भारत के मंदिरों में किया गया है। असल समस्या मंदिर प्रबंधन में तैनात कर्मचारियों के चरित्र की है।

अगर कर्मचारी और अधिकारी ईमानदार होंगे तो फिर कड़ी व्यवस्था की जरूरत नहीं रह जाती। जहां तक दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रबंधन की बात है तो वहां के मंदिरों का प्रबंधन मोटे तौर पर संबंधित राज्य के कानून के जरिए बनाए गए हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती बोर्ड करते हैं। हालांकि कुछ मंदिरों का प्रबंधन और संचालन उत्तर भारत के मठों की तरह वंशानुगत महंतों और ट्रस्टियों द्वारा भी किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड मंदिर की आय, दान, पुजारियों की नियुक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं। मोटे तौर पर यह व्यवस्था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना के ज्यादातर बड़े मंदिरों में लागू है। इसके तहत सरकार की ओर से मंदिर के लिए एक आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होता है, जो मंदिर के रोजाना का प्रशासन, सुरक्षा और कर्मचारी आदि की व्यवस्था देखते हैं। सरकार की ओर से नियुक्त बोर्ड में स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों, विद्वानों और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बोर्ड प्रबंधन मंदिरों के चढ़ावे पर कड़ी निगरानी रखते हैं। इसके लिए विशेष तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहां सुरक्षा बलों की भी तैनाती है। चढ़ावे से प्राप्त रकम के आय-व्यय का लेखा-जोखा राज्य सरकार हर साल कर करती है। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर और कर्नाटक के उडुपी के मठ का प्रबंधन वहां के पारंपरिक शाही परिवार या उत्तर भारत की तरह वंशानुगत मठ के महंत के जरिए होता है, लेकिन इन मंदिरों के चढ़ावे आदि पर राज्य सरकार की निगरानी होती है। दक्षिण भारत के ज्यादातर बड़े मंदिरों के आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप होता है। हालांकि मंदिर की पूजा-पद्धति, अनुष्ठान, स्थानीय त्योहार आदि के आयोजन में राज्य सरकार की कोई दखलंदाजी

दक्षिण भारत के ज्यादातर बड़े मंदिरों के आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप होता है। हालांकि मंदिर की पूजा-पद्धति, अनुष्ठान, स्थानीय त्योहार आदि के आयोजन में राज्य सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। इस पर फैसले लेने का अधिकार वहां के पुजारियों को होता है।

नहीं होती। इस पर फैसले लेने का अधिकार वहां के पुजारियों को होता है। कुछ इसी तरह का प्रबंधन उत्तर भारत के भी कुछ बड़े मंदिरों का भी होता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में पारित श्रीमहाकालेश्वर मंदिर अधिनियम के तहत गठित 'महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति' करती है। उज्जैन के जिलाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस समिति में उज्जैन नगर निगम के पार्षद, राज्य सरकार द्वारा नामित संस्कृत के विद्वान और पुजारी सदस्य होते हैं। जिलाधिकारी इसकी दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था और प्रबंधन के लिए एक प्रशासक को नियुक्त करते हैं। तिरूपति देवस्थान बोर्ड की ओर से करीब 35 स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर भारत का प्रसिद्ध वैष्णोदेवी मंदिर का भी संचालन कुछ इसी तरह होता है। 1986 में सरकार द्वारा बनाया गया श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड मंदिर और उसके चढ़ावे आदि का प्रबंधन करता है। श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड जम्मू-कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णोदेवी विश्वविद्यालय संचालित करता है। बोर्ड कटरा में श्री माता वैष्णोदेवी गुरुकुल का भी संचालन करता है। पटना के महावीर मंदिर का प्रबंधन भी इसी तरह से जनहित के लिए महावीर कैंसर संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर आरोग्यालय आदि का संचालन करता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रबंधन की तरह श्रीरामलला मंदिर के प्रबंधन की मांग का एक वर्ग विरोध भी कर रहा है।

इसके लिए दक्षिण भारत के मंदिरों की व्यवस्था का उत्तर वालों को गहन अध्ययन करना चाहिए और उसी तरह की व्यवस्था को अपनाना चाहिए। चूंकि चढ़ावे की रकम आम लोगों के दान की रकम होती है, लिहाजा इस रकम को लोकहित में स्कूल और अस्पताल चलाने, गरीबों को रोजगार आदि दिलाने का इंतजाम करने के मद में खर्च किया जाना चाहिए।

आपदा प्रबन्धन में माहिर है भाजपा

दान चोरी प्रकरण

सुनील अमर

स्वतंत्र पत्रकार

देश का माहौल इन दिनों अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में हुए चढ़ावा चोरी प्रकरण से उद्वेलित है। मामले की जांच भी हो रही है। अपने देश का मिजाज ही कुछ ज्यादा धार्मिक है, इसलिए धर्म-कर्म होते रहते हैं और स्वाभाविक है कि उनमें अव्यवस्थाएं भी होती रहती हैं। अयोध्या का राम मन्दिर कांड कोई पहला नहीं है। देश के कई प्रमुख मन्दिरों में इससे पहले भी ऐसे कांड होते रहे हैं जिनमें तिरुमला वेंकटेश्वर मन्दिर, सबरीमला मन्दिर, जगन्नाथ मन्दिर तथा बीते जून महीने में ही हुए योग नरसिम्हा स्वामी मन्दिर का चढ़ावा चोरी मामले चर्चित हैं। अयोध्या मन्दिर का मामला इसलिए ज्यादा उबाल ले रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या आन्दोलन की नाव पर चढ़कर अपना राजनीतिक अभीष्ट प्राप्त किया।

दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रधानमन्त्री कार्यालय ने ही इस ट्रस्ट का गठन किया, इसके सदस्यों का चयन किया और खास बात यह कि इस ट्रस्ट की गतिविधियों को सूचना के अधिकार के बाहर कर दिया। रही बात राम मन्दिर चढ़ावा चोरी कांड से जनता पर असर पड़ने की तो अगर अतीत में हम देखें तो पता चलता है कि इस देश की जनता की राजनीतिक याददाश्त और भावनाएं दोनों बहुत टिकाऊ नहीं हैं। आखिर इसी देश में आपातकाल लगा, तमाम ज्यादतियां हुईं और मौका मिलने पर जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर जनता सारे दुःख भूल गई और दोबारा उसी कांग्रेस की सरकार को सत्ता में स्थापित कर दिया। असल सवाल है जनता को बहलाने-फुसलाने का और भाजपा का प्रचार तंत्र इसमें माहिर है। भाजपा को राजनीतिक और धार्मिक दोनों मोर्चों पर लड़ना आता है। सांगठनिक तौर पर भाजपा आज देश की सबसे ताकतवर पार्टी है। एक समय था कि वामदलों को कॉडर आधारित दल कहा जाता था। कांग्रेस के पास भी सेवादल हुआ करता था। बसपा संस्थापक कांशीराम ने भी पहले बामसेफ ही बनाया था लेकिन आज ये दल अपने इस मूलभूत ढांचों को खो बैठे हैं, जबकि भाजपा के साथ उसका मातृ संगठन आरएसएस अपने समस्त आनुषांगिक संगठनों के साथ आज पूरी क्षमता से कार्यरत है। ऐसे ताकतवर इन्फ्रास्ट्रक्चर से अन्य दल क्या मुकाबला कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा के पास अभी आपदा प्रबन्धन का थोड़ा समय है और भाजपा इसमें पारंगत है। आखिर बीते लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट, जिसके अन्तर्गत ही अयोध्या भी आती है, सपा के हाथों हार जाने के बाद भाजपा ने इसकी एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर को उपचुनाव में येन-केन-प्रकारेण जीत ही लिया था और प्रचारित किया था कि अयोध्या की जनता भाजपा से नाराज नहीं है। दूसरे, चुनावी प्रक्रिया इधर के वर्षों में बहुत हाईटेक और बहुत ज्यादा खर्चीली हो गई है। इस लिहाज से देखें तो भाजपा के मुकाबले कोई भी राजनीतिक दल टिकता ही नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक और पेचीदगी की बातें अपनी जगह। हिन्दू धर्म में दान की परम्परा बहुत उदारमना है। यहां तो 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये' कहकर भगवान को चढ़ावा अर्पित किया जाता है। एक आस्थावान हिन्दू दान करने के बाद उसे भूल जाता है और फिर आगे उसका हिसाब नहीं रखता। जैसे भिखारी को भिक्षा देकर उस पर यह शर्त नहीं थोपी जाती कि वह इसे कैसे खर्च करेगा। यही वजह है कि देश के अन्य हिस्सों की बात छोड़ दें तो इस मुद्दे पर अयोध्या में स्थानीय स्तर पर जनता का कोई भी मुखर विरोध नहीं है। जो विरोध है वह संस्थागत स्तर पर ही है और भाजपा जनता की इस अमुखरता को भुनाएगी ही।

राम मन्दिर चन्दा मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही है। आने वाले समय में भाजपा पर इसका क्या राजनीतिक असर दिखेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह महत्वपूर्ण होगा कि जांच का नतीजा क्या निकला। जिम्मेदार किसे ठहराया गया, सजा किसे हुई तथा व्यवस्था में परिवर्तन क्या किया गया और इन सबका जनता पर असर कैसा हुआ। भाजपा किसी लकीर को छोटा साबित करने के लिए बड़ी लकीर खींचने में माहिर है। चुनाव में अभी समय है और संभावना है कि तब तक भाजपा कोई ऐसा राजनीतिक/सामाजिक तूफान खड़ा कर सकती है, जिसमें यह मन्दिर चढ़ावा चोरी ओझल ही हो जाए।

हिन्दू धर्म में दान की परम्परा बहुत उदारमना है। यहां तो 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये' कहकर भगवान को चढ़ावा अर्पित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि एक आस्थावान हिन्दू दान करने के बाद उसे भूल जाता है और फिर आगे उसका हिसाब नहीं रखता।

पंजाब में चुनाव सिर पर और कांग्रेस को सता रहा पार्टी में टूट का डर

कांग्रेस में बगावत का अंदेशा, अब डैमेज कंट्रोल में जुटीं प्रियंका

एकजुटता की अपील हो रही बेअसर दो वरिष्ठ नेताओं को चंडीगढ़ भेजा

चन्नी-वडिंग की तकरार खत्म करने आमने-सामने मुलाकात की रणनीति बनाई

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पंजाब में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस को पंजाब में पार्टी की टूट का डर है। राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, लिहाजा पंजाब कांग्रेस में बनीं मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी ने फिलहाल स्थिति संभालने की पहल की है। इसके लिए उन्होंने दो वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली से चंडीगढ़ भेजा है। हाईकमान की ओर से भेजे गए दोनों वरिष्ठ नेताओं ने चंडीगढ़ में शनिवार को चन्नी खेमे के कुछ वरिष्ठ नाराज नेताओं से बुलाकर वन-टू-वन मुलाकात कर उनसे फिलहाल स्थिति को शांत रखने की अपील की। उधर, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से भी फोन पर बात कर उनसे राहुल के आने तक कोई बड़ा फैसला न लेने का आग्रह किया गया है। हाईकमान द्वारा संपर्क करने के बाद शनिवार को चन्नी भी थोड़े नरम दिखे मगर उनके समर्थक चन्नी को सीएम फेस घोषित करने या उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की जिद पर अड़े रहे। समर्थकों का साफ कहना है कि उन्हें मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का नेतृत्व स्वीकार नहीं है।

कांग्रेस किसी तरह की 'कमी' नहीं छोड़ना चाहती

पंजाब कांग्रेस में हुई इस बगावत के बाद हाईकमान एकदम सक्रिय हो गया है, क्योंकि वे पार्टी में बिखराव को विरोधियों की ताकत बनने नहीं देना चाहता है। उधर, भाजपा की नजरें भी इस पूरे विवाद पर गड़ी है जबकि कई भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के नाराज नेताओं से संपर्क साध रखा है। पंजाब कांग्रेस सूबे में किसी तरह का खेला नहीं होने देना चाहती जबकि भाजपा इस अवसर को भुनाने से पीछे नहीं हटना चाहती।

जिताऊ चेहरों को ही मिलेगा टिकट

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने एक सवाल के जवाब में बताया कि टिकट वितरण की जिम्मेदारी हाईकमान की है। इस बार हाईकमान ने यह जरूर साफ कर दिया है कि टिकट वितरण मेरिट के आधार पर ही होगा और जिताऊ चेहरों को ही टिकट दिया जाएगा।

राहुल के बयान भी चर्चा में

इसी साल फरवरी में राहुल गांधी ने बरनाला में रैली के दौरान पंजाब के कांग्रेसियों को सख्त लहजे में गुटबाजी से दूर रहते हुए एकजुट रहने की अपील की थी। राहुल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी में मंच से कहा था कि पार्टी में गुटबाजी करने वाले नेताओं को हाशिये पर बैठा दिया जाएगा और उनका इलाज खरगे करेंगे। इस अपील के चार महीने बाद ही पंजाब कांग्रेस में भारी बगावत देखने को मिली। अब देखना यह है कि इस स्थिति में हाईकमान का क्या स्टैंड रहता है।

यहां वरिष्ठ नेताओं का 'एका' अहम

हाईकमान के इस मसले पर बैकफुट पर आने के आसार बहुत कम है। पार्टी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि पंजाब की सत्ता चाहिए तो वरिष्ठ कांग्रेसियों को हर हाल में एकजुट करना होगा। हाईकमान पंजाब में चुनाव से पहले एक रथयात्रा निकालने की भी तैयारी कर रहा है। रूट फाइनल किया जा रहा है और इसकी शुरुआत करने राहुल गांधी पंजाब आ सकते हैं। इस रथ पर पंजाब के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और मिलकर कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार के पहले चरण की शुरुआत करेंगे मगर इससे पहले नाराज नेताओं से बातचीत कर उनके एतराज को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।

कांग्रेस में मची खींचतान पर आप का बड़ा हमला

आखिर कांग्रेस को कौन चला रहा ? इस पर बहस छिड़ी

पंजाब की सियासत में एक बार फिर गरमाहट आ गई है। प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी कलह को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने तीखा हमला बोला है। आप के पंजाब महासचिव बलतेज पन्नू ने कांग्रेस की इस गुटबाजी पर गहरा तंज कसा है। उन्होंने विपक्षी दल की सांगठनिक स्थिति पर सीधे सवाल उठाए हैं। न्नू ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में मचे इस घमासान के बीच कहा कि पंजाब की जनता आज यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को चला कौन रहा है? उनके इस बयान ने कांग्रेस के भीतर सुलग रही गुटबाजी की आग में घी डालने का काम किया है और पार्टी में नेतृत्व के संकट को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है।

हर नेता खुद को आलाकमान समझ रहा

आप नेता ने कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी को उजागर करते हुए कहा कि पार्टी में हर नेता खुद को आलाकमान समझ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि कार्यकर्ताओं को भी समझ नहीं आ रहा कि वे किस नेता के निर्देश का पालन करें। इस सांगठनिक भ्रम के कारण राज्य में मुख्य विपक्षी दल लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है।

धीरेन्द्र शास्त्र के जन्मदिन पर पैड़ा धाम का बड़ा संकल्प, दो बच्चों की शिक्षा का लिया संकल्प

बस्ती। जिले में आयोजित एक विशेष धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान पैड़ा धाम में समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रमुखता से दिया गया। अवसर था धीरेन्द्र शास्त्र के जन्मदिन समारोह का, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान पैड़ा धाम के महंत गोविन्द दास ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दोहराते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं महंत गोविन्द दास ने कहा कि पैड़ा धाम केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान और जनकल्याण के लिए भी निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पैड़ा धाम दो बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का पूरा दायित्व अपने स्तर पर उठाने का संकल्प ले रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे कई बच्चे हैं जो आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को उचित शिक्षा और संस्कार प्रदान करना समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति और संस्थान की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षित समाज ही विकास की ओर अग्रसर होता है और एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। उन्होंने लोगों से भी समाज के जरूरतमंद बच्चों की मदद करने की अपील की कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रमुख रूप से दिया गया। महंत गोविन्द दास ने उपस्थित लोगों के बीच पौधों का वितरण किया और सभी से इन पौधों के संरक्षण का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करना और उन्हें सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। महंत गोविन्द दास ने कहा ये केवल पौधे नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं। वृक्ष और पौधे हमें शुद्ध वायु, छाया और पर्यावरण संतुलन प्रदान करते हैं। आज बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरणीय हालात को देखते हुए हर व्यक्ति को पौधारोपण के प्रति जागरूक होना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि यदि आज हम पर्यावरण के संरक्षण के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान महंत गोविन्द दास ने स्वयं भी वृक्षारोपण किया और लोगों को पर्यावरण बचाने की दिशा में आगे आने का संदेश दिया।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका दीपक कुमार श्रीवास्तव आ०/पति बी०पी० श्रीवास्तव जाति, निवासी दरीर्पारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला दरीर्पारा, शीट नम्बर-10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3893/1 रकबा 0.06 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 13/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 22/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र० //अ-20(3)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक शनी कुमार गोयल आ० देव प्रकाश गोयल, निवासी अग्रसेन वार्ड, बरेजपारा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर-09 मोहल्ला बाबूपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 3467/4866/349 रकबा 1665 वर्गफीट भूमि को अनावेदक/केता मनीष अग्रवाल आ० स्व० बलवंत अग्रवाल, निवासी कुण्डला सिटी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ०ग० के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 16/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती पुष्पा देवी श्रीवास्तव आ०/पति बच्चन प्रसाद श्रीवास्तव जाति निवासी दरीर्पारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला दरीर्पारा, शीट नम्बर-10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3893/3 रकबा 0.06 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-13/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः-22/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र.ब/121 वर्ष
ग्राम - प.ह.न.
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामवृक्ष पिता उजित जाति चमार निवासी ग्राम कुसमुसी प.ह.न. 11 रा.नि.म.शिवप्रसादनगर भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के भाई दादूराम का मृत्यु दिनांक 04/06/2009 को ग्राम कुसमुसी में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है आवेदक अपने भाई दादूराम का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुसमुसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 16/07/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०
रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुनील कुमार ताम्रकार आ.स्व. हरिहर साव, उम्र 60 वर्ष जाति उठेरा, निवासी तिवारी बिल्डिंग रोड, जोड़ा पीपल अम्बिकापुर जिला सरगुजा (७०ग०) के द्वारा सदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है. कि आवेदक एवं अनावेदकगण मटुकधारी ताम्रकार आ.स्व. हरिहर साब वगैरह के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ०पुर, शीट नं. 02 मोहल्ला केदारपुर स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 298/1, 300 रकबा क्रमशः 0.06%, 0.06 एकड़ भूमि स्थित है। उक्त भूखण्ड क्र. 298/1 में से रकबा 1372.14 वर्गफीट एवं भूखण्ड क्र. 300 में से रकबा 1241.46 वगफीट भूमि का पंजीबद्ध हकत्याग पत्र दिनांक 20.04.2026 का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध हकत्याग० पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा आवेदित भूखण्ड का नामांतरण किये जाने हेतु पंजीबद्ध हकत्याग विलेख दिनांक 20/04/2026 की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-17 /07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक-02/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिव प्रसाद सिंह आ. स्व. विश्वनाथ व अन्य, निवासी ग्राम फतेहपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदकगण के संयुक्त स्वामित्व की भूमि ग्राम फतेहपुर स्थित खसरा नंबर 1276/1 रकबा 0.372 हे. भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश आवेदकगण का नाम दर्ज होने से छुट गया है। आवेदकगण के द्वारा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जॉच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 16/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार, उप तहसील डांड़करवां, जिला-सूरजपुर (छ०ग०)
प्रकरण क्रमांकः-440/2025-26
दिनांक: 25/06/2026
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/उमनि./वपुअ./सूरज/एसी-1/एम/904/2026 सूरजपुर दिनांक 08/04/2026 के माध्यम से पुलिस चौकी रेवटी (थाना चन्दौरा) के नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की मांग की गई है। इस हेतु तहसील प्रतापपुर के ग्राम डांडकरवां स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1650 कुल रकबा 7.11 हेक्टेयर में से 0.800 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। अतः प्रस्तावित भूमि खसरा 1650, रकबा 0.800 हे. को पुलिस विभाग को आबंटित किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो, तो वह इस इश्तहार के जारी होने के 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

नायब तहसीलदार,
उप तहसील डांड़करवां, जिला-सूरजपुर

शपथ-पत्र

मैं संजय पैकरा पिता श्याम पैकरा उम्र लगभग 40 वर्ष, जाति-कवंर, निवासी रजबहर थाना व तहसील भैयाथान जिला-सूरजपुर (छ.ग.) का निम्नांकित शपथ पूर्वक कथन करता हूँः- मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ, कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई मूल निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी पुत्री स्वात्री पैकरा (SVATRI PAIKRA) है, जिसके नाम से आधार कार्ड क्रमांक-5586 8622 6896 बना है, जिसमें मेरी पुत्री का त्रुटिपूर्ण नाम शिवआत्री (SHIVATRI) दर्ज कर दिया गया है। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, कि मेरी पुत्री के कक्षा 10 वीं के अंकसूची स. क्रं0-26063871 में मेरी पुत्री का नाम स्वात्री पैकरा (SVATRI PAIKRA) दर्ज है, जो सत्य एवं सही है। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज गलत नाम को उसके कक्षा 10 वीं के अंकसूची में दर्ज सही नाम के अनुसार, सुधार कराने के संबंध में यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका सुदामा प्रसाद बंसल आ०/पति स्व० कपूर चंद बंसल जाति निवासी सदर रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-भ?ट्ठापारा, शीट नम्बर-11 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4503/14 रकबा 0.11 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-16/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः-02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका कृष्णा दुबे आ०/ पति स्व० रामानुज दुबे व 02 अन्य जाति, निवासी ब्रम्ह पारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-ब्रम्ह रोड़, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3206/1, 3206/2, 3207/1, 3207/2 रकबा 0.02, 0.01, 0.04, 0.04 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 20/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 06/072026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र.ब/121 वर्ष
ग्राम - प.ह.न.
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रोहित पैकरा पिता महाविर जाति कंवर निवासी ग्राम कुसमुसी प. ह. न. 11रा.नि.म. शिवप्रसादनगर भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता महाविर का मृत्यु दिनांक 01/04/2009 को ग्राम कुसमुसी में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पिता महाविर का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुसमुसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 16/07/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 30/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका संजीव सिन्हा आ० स्व० लक्ष्मी प्रसाद सिन्हा आ०/पति जाति निवासी मायापुर, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०म० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-मायापुर, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1641, 1642 रकबा 0.02, 0.09 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 16/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांक 02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका अतुल कुमार बंसल आ०/पति सुदामा प्रसाद बंसल जाति निवासी कबीर वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-बाबूपारा, शीट नम्बर 9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3467/4866/215 रकबा 1437 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 16/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं को समय पर पूरी करने और डीएमएफ कार्यों में लापरवाही पर कार्रवाई के दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य समय-सीमा के भीतर एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार मौजूद रहे। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, श्रम विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ के अंतर्गत संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शेष आंगनबाड़ी भवनों एवं उनमें शौचालय निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लंबित ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूरा कराने पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित सभी बच्चों की आपार आईडी अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इससे प्रत्येक बच्चे का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में उनकी शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने और विभिन्न शासकीय योजनाओं का

लाभ दिलाने में सुविधा होगी। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का आधार सीडिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शेष शासकीय तालाबों का नियमानुसार पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के अंतर्गत मत्स्य पालक किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने सभी पात्र श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, विशेष पंजीयन शिविर आयोजित करने तथा पात्र श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर व्यास ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में लापरवाही अथवा गुणवत्ताविहीन निर्माण पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्व-सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों को समूहों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे इन समुदायों की आजीविका मजबूत होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। कलेक्टर ने लंबित बैंक लिंकेज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा महिला समूहों द्वारा संचालित उद्यमों को ऋण वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की और पात्र हितग्राहियों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ओडीएफ प्लस मॉडल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांवों में नियमित कचरा संग्रहण, हाट-बाजारों की साफ-सफाई, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता श्रमदान की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

डीएमएफ के वर्ष 2023-जुलाई तक करें पूर्ण, अन्यथा होंगे निरस्त

जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर व्यास ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत सभी लंबित कार्यों को 31 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। निर्धारित समय-सीमा तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित कार्यों को निरस्त करने के साथ ही लापरवाही बरतने वाली संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार वसूली सहित आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

उत्कर्ष योजना अंतर्गत 6वीं प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, 9 जुलाई तक आपत्ति

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए शनिवार 05 जुलाई को जशपुर नगर स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। आदिवासी विकास विभाग जशपुर के अनुसार परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कुल 110 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा उपरांत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर परिणाम घोषित कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि जिन विद्यार्थियों या उनके पालकों को परिणाम से संबंधित कोई आपत्ति है, वे 09 जुलाई तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर में लिखित में अभ्यावेदन दे सकते हैं। तय तारीख के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना परिणाम सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, सहायक आयुक्त कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट_नंरँस्त्र४१.ल्व्रू.ल्ल पर देख सकते हैं।

अपात्र पीएम किसान के काटें नाम, राजस्व प्रकरण शत-प्रतिशत समय-सीमा में निपटाएं-कलेक्टर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व, कृषि एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर विभागीय कार्यों और शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू मौजूद रहे। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पर सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदिग्ध प्रकरणों की जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि अपात्र हितग्राहियों के नाम तत्काल विलोपित करें, ताकि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे। उन्होंने रासायनिक उर्वरक एवं बीज के भंडारण और वितरण की स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सहकारी समितियों में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने एवं किसानों को समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर व्यास ने आधार एवं मोबाइल नंबर अद्यतन, किसान किताब प्रविष्टि, अविवादित एवं फौती नामांतरण, नक्शा अद्यतन, बटांकन, सीमांकन, ई-नामांतरण, स्वामित्व योजना, अभिलेख दुरुस्तीकरण, अभिलेख शुद्धता, व्यपवर्तन तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों एवं शिकायतों का भी समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने राशन कार्डधारकों के ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

महतारी वंदन योजना का लाभ चाहिए तो कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो होंगे वंचित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर रोहित व्यास ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने हितग्राहियों से भी अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना ई-केवाईसी अवश्य करा लें, ताकि योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। उन्होंने कहा कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में हितग्राहियों को

योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 05 जुलाई 2026 तक जिले में महतारी वंदन योजना के 2,26,674 पंजीकृत हितग्राहियों में से 2,21,699 हितग्राहियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है, जो कुल हितग्राहियों का 97.80 प्रतिशत है। वर्तमान में 4,975 हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जाना शेष है। विभाग ने बताया कि हितग्राहियों को योजना का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। जिन हितग्राहियों का अब तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द अपना सत्यापन कराएं, अन्यथा उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। विभाग ने बताया कि पोर्टल में नाम के मिलान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ऑटो करेक्शन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क है। यदि कोई व्यक्ति ई-केवाईसी के नाम पर किसी प्रकार का शुल्क मांगता है, तो इसकी शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित कार्यालय में की जा सकती है।

24 घंटे में सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी, बहू ने रची 3 साथीयों के साथ मिलकर ससुर की हत्या की साजिश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। पुलिस ने 24 घंटे में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए बुजुर्ग हत्याकांड में मृतक की बहू समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वैज्ञानिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों से पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पारिवारिक विवाद हत्या का कारण बना।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

थाना दुलदुला के ग्राम बोड़ाजोर में 04 जुलाई को 70 वर्षीय चुगरू प्रधान अपने घर में हाथ-पैर बंधे और गंभीर चोटों के

साथ मृत मिले। 03-04 जुलाई की मध्यरात्रि आरोपी मोटरसाइकिल से मृतक के घर पहुंचे। दरवाजा खुलवाकर लकड़ी के फट्टे और मुक्कों से मारपीट की, फिर हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर हत्या कर दी।

बहू ने रची थी साजिश

जांच में सामने आया कि मृतक का बहू सुगंती बेसरा, 36 वर्ष से लंबे समय से पारिवारिक विवाद था। इसी रंजिश में उसने परिचितों के साथ हत्या की साजिश रची। पुलिस ने एफएसएल टीम, डॉग स्क्वॉड, तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर सूचना से 24 घंटे में खुलासा किया।

गिरफ्तार आरोपी

सुगंती बेसरा, 36 वर्ष, निवासी बोड़ाजोर, दुलदुला – मृतक की बहू, मुख्य साजिशकर्ता साहिल उर्फ राजा खान, 22 वर्ष, निवासी दुलदुला आनंद यादव, 20 वर्ष, निवासी परसाटोली, दुलदुला रोहित सिंह, 21 वर्ष, निवासी मधुटोली, जशपुर। सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जिले में फटे-पुराने नक्शों का होगा नवीनीकरण, कलेक्टर ने जारी किया रोस्टर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिले में भू-अभिलेखों को अद्यतन, व्यवस्थित एवं अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कलेक्टर रोहित व्यास ने वर्ष 2026-27 के लिए नक्शा नवीनीकरण रोस्टर कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 15 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक जिले के सभी तहसीलों के चयनित राजस्व निरीक्षक मंडलों में पुराने एवं जर्जर नक्शों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा विस्तृत आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

214 राजस्व ग्रामों के नक्शों का होगा नवीनीकरण

जारी रोस्टर के अनुसार जिले के 27 राजस्व निरीक्षक मंडलों में अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान 766 राजस्व ग्रामों की कुल 2456 नक्शा शीटों का परीक्षण किया जाएगा, जिनमें 214 जर्जर ग्रामों की 710 नक्शा शीटों का नवीनीकरण किया जाएगा। अभियान के लिए प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मंडल का अलग-अलग रोस्टर एवं समय-सीमा निर्धारित की गई है।

चरणबद्ध तरीके से होगा अभियान का संचालन

रोस्टर के अनुसार 15 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक मनोरा एवं आस्ता राजस्व निरीक्षक मंडलों में नक्शा नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 22 जुलाई से 28 जुलाई तक जशपुर एवं लोदाम मंडलों में अभियान संचालित होगा। 29 जुलाई से 4 अगस्त तक आरा एवं कुनकुरी, 5 अगस्त से 11 अगस्त तक नारायणपुर एवं गोरिया, तथा 12 अगस्त से 18 अगस्त तक दुलदुला एवं सिमड़ा राजस्व निरीक्षक मंडलों में नक्शा नवीनीकरण किया जाएगा। इसके बाद 19 अगस्त से 25 अगस्त तक फरसाबहार, तपकरा एवं कोल्हेनझरिया, 26 अगस्त से 1 सितंबर तक बगीचा, बिमड़ा, कुर्रोग एवं सरबकोम्बो, 2 सितंबर से 8 सितंबर तक सन्ना, पंडरापाठ एवं कांसाबेल, 9 सितंबर से 15 सितंबर तक दोकड़ा, पत्थलगांव एवं केराकछार, 16 सितंबर से 22 सितंबर तक तमता एवं लुड़ेग तथा अंतिम चरण में 23 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक बागबहार एवं कोतबा राजस्व निरीक्षक मंडलों में नक्शा नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।

समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश

कलेक्टर व्यास ने सभी संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में जिला कार्यालय के माध्यम से कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को प्रेषित सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है। नक्शा नवीनीकरण के दौरान अभिलेखों की शुद्धता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

नियमित निगरानी और पर्यवेक्षण रहेगा

नक्शा नवीनीकरण कार्य के लिए सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में संपूर्ण अभियान संचालित होगा। साथ ही संबंधित पटवारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नक्शों में आवश्यक संशोधन नियमानुसार दर्ज करते हुए सभी अभिलेखों का विधिवत संधारण करें। यह अभियान भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे भूमि अभिलेख अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनेंगे तथा भविष्य में सीमांकन, नामांतरण, भू-अभिलेख सुधार एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों का त्वरित एवं सुगम निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।

भाजपा चोपन मंडल की मासिक बैठक का हुआ आयोजन

चोपन -भारतीय जनता पार्टी चोपन मंडल की मासिक बैठक मंडल अध्यक्ष भगवान दास केसरी के अध्यक्षता में चोपन नगर स्थित श्याम लाज में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण एवं वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुआ। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश अग्रहरी नें कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पखवाड़ा 23 जून से 6 जुलाई तक सभी बूथो पर मनाया गया। सभी सम्मानित कार्यकर्ता डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म पर अपनी उपस्थित शत प्रतिशत अपने शक्तिकेन्द्र संयोजक बुथ अध्यक्ष व समिति को पुर्ण कराये साथ ही आगामी 9 जुलाई को यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के जनपद सोनभद्र प्रथम आगमन के पूर्व सभी समितियो का बैठक कर स्वागत की तैयारी करे।

06 जुलाई को जिले में 98.5 मिमी औसत वर्षा

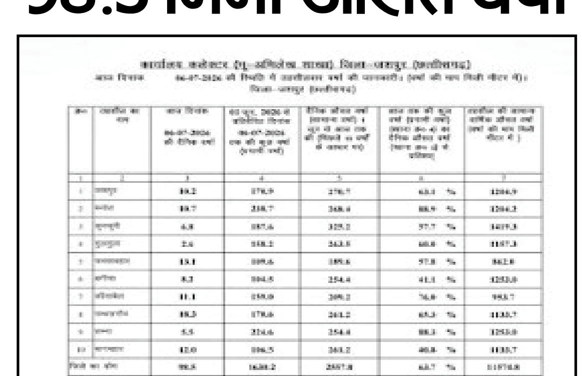

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिले में 01 जून से 06 जुलाई 2026 तक 1630.2 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 06 जुलाई तक सामान्य औसत वर्षा 2557.8 मिमी हुई है, जो सामान्य का 63.7ः है। बीते दिवस जिले में 98.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसीलवार वर्षा इस प्रकार हैरू तहसील जशपुर में 170.9 मिमी, मनोरा में 238.7 मिमी, कुनकुरी में 187.6 मिमी, दुलदुला में 158.2 मिमी, फरसाबहार में 109.6 मिमी, बगीचा में 104.5 मिमी, कांसाबेल में 159.0 मिमी, पत्थलगांव में 170.6 मिमी, सन्ना में 224.6 मिमी एवं बागबहार में 106.5 मिमी वर्षा हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा मनोरा तहसील में 238.7 मिमी दर्ज की गई है। 06 जुलाई को सर्वाधिक पत्थलगाँव तहसील में 18.3 मिमी वर्षा हुई।

पेयजल से संबंधित शिकायतो पर तत्काल करें प्रभावी कार्रवाई : रेना जमील

समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने की मानसून तैयारियों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में सोमवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। जिसमें मानसून के दौरान संभावित आपदा से निपटने एवं जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियों तथा विभागीय कार्ययोजना की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में नालों एवं जल निकासी मार्गों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभावित आपदा प्रभावित स्थलों पर सतत् निगरानी रखने, विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा हर समय सतर्कता बनाए रखने को कहा है। बैठक में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए कलेक्टर ने जल जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु जल स्त्रोतों के नियमित क्लोरीनीकरण पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी जल स्त्रोत बोरवेल, हैंडपंप, कुएं, पानी टंकियां एवं अन्य पेयजल स्त्रोतों का नियमित रूप से क्लोरीनीकरण किया जाए तथा प्रत्येक स्त्रोत से पेयजल की सैंपलिंग एवं प्रयोगशाला में परीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने जल के प्रमुख स्त्रोतों के आसपास साफ सफाई सुनिश्चित करने, पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत एवं उनकी समुचित सफाई कराने तथा लीकेज को

तत्काल सुधारकर दूषित जल की समस्या समाप्त करने के निर्देश संबंधितों को दिए। उन्होंने पेयजल से संबंधित किसी भी शिकायत पर तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई करने तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सतत निगरानी सुनिश्चित करने की बात कहा।

मौसमी बीमारी से निपटने स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाएं मुहैय्या कराने के निर्देश

बैठक में वर्षा ऋतु में संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्ययोजना बनाकर पुख्ता रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करने तथा जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में मलेरिया, डायरिया सहित अन्य जलजनित एवं वेक्टर जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में गांव एवं पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने रोकथाम, शीघ्र पहचान एवं जनजागरूकता को मुख्य लक्ष्य बताते हुए युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए।कलेक्टर श्रीमती जमील ने सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जीवनरक्षक दवाओं, मलेरिया जांच किट, ओआरएस, जिंक टैबलेट एवं आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मलेरिया अथवा डायरिया के मरीज मिलने पर तत्काल जांच, उपचार एवं नियंत्रणात्मक कार्रवाई की जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने संदिग्ध मरीजों की समय पर जांच एवं पॉजिटिव मरीजों के त्वरित उपचार पर बल दिया।

डायरिया की रोकथाम हेतु कलेक्टर ने स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने, व्यक्तिगत स्वच्छता, खुले में शौच से बचाव तथा ओआरएस एवं जिंक के उपयोग को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने एएनएम एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से घर-घर संपर्क बढ़ाने, गंभीर मरीजों को समय पर रेफर करने तथा नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेन्द्र सिंह पाटले, अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, सर्व एसडीएम सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रतापपुर क्षेत्र के सिंघरा गांव पहुंचे हाथी ने लोगों को दौड़ाया, मची अफरा-तफरी

दहशत में ग्रामीण, हाथी मित्र दल और वन विभाग अलर्ट

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम सिंघरा में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक हाथी अचानक गांव में घुस आया। हाथी को गांव की ओर बढ़ता देख बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा मौके पर जुट गए, लेकिन भीड़ और शोरगुल से हाथी आक्रामक हो गया और लोगों को दौड़ाने लगा। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में, ग्रामीण हाथी से बचने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। हाथी के गांव में प्रवेश की सूचना मिलते ही हाथी मित्र दल, वन विभाग और स्थानीय युवा तत्काल सक्रिय हो गए। टीम ने

ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी तथा हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखी। गांव और आसपास के क्षेत्रों में मुनादी कर लोगों से विशेष रूप से बारिश के दौरान रात में घरों से बाहर नहीं निकलने, हाथी के नजदीक नहीं जाने और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की अपील की जा रही है। वन विभाग के अनुसार हाथी की लगातार निगरानी की जा रही है और उसे सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल सिंघरा सहित आसपास के गांवों में हाथी की मौजूदगी को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, हाथी के पास न जाने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल वन विभाग को देने की अपील की है। स्थिति पर वन विभाग, हाथी मित्र दल और स्थानीय प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं।

तिलसिंवा दुर्गा मंदिर के 28 वें वार्षिकोत्सव की तैयारियों में जुटे श्रद्धालु

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शहर सीमा के प्रवेश द्वार के समीप स्थित माँ दुर्गा मंदिर तिलसिवां में 28 वां वार्षिकोत्सव 21 जुलाई से मनाया जाएगा। तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। आयोजक माँ दुर्गा मंदिर परिवार ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर का वार्षिकोत्सव भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन के प्रथम दिवस 21 जुलाई को प्रातः 9 बजे पूजा अर्चना पश्चात बाजे

गाजे के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी जो सिचाई विभाग स्थित शिव मंदिर से प्रारम्भ होकर माँ दुर्गा मंदिर पहुंचेगी जहाँ धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान एवं संध्या 4 बजे से रुद्राभिषेक व संध्या पूजन किया जाएगा। 22 जुलाई प्रातः 8 बजे से श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ प्रारम्भ होगा, जिसका समापन 23 जुलाई को होगा। तत्पश्चात माँ दुर्गा की विशेष अर्चना की जाएगी। जिसके बाद कन्या पूजन व भंडारे का आयोजन होगा। आयोजन समिति ने धर्म प्रेमियों से समस्त धार्मिक आयोजनों में अधिक से अधिक सहभागिता का आग्रह किया है।

जनदर्शन में हुई त्वरित कार्रवाई, दिव्यांग को मिली मोटराइज्ड ट्राई साइकल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला प्रशासन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जनदर्शन एक प्रभावी एवं भरोसेमंद मंच है। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक सोमवार को आयोजित जनदर्शन में आज 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम बगडा कोटेया निवासी दिव्यांग परशुराम तिवारी को मोटराइज्ड ट्राई

साइकल उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद का संचार हुआ है।समाज कल्याण विभाग के अनुसार परशुराम तिवारी 80 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, जिसके कारण उनका चलना-फिरना बाधित था। वे उम्मीद लेकर जनदर्शन में पहुंचे तथा कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मोटराइज्ड ट्राई साइकल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आवेदन प्राप्त होते ही कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए समाज कल्याण विभाग को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर विभाग द्वारा बिना किसी अनावश्यक विलंब के उन्हें निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकल उपलब्ध करा दी गई। सहायता प्राप्त होने पर परशुराम तिवारी ने जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें आवागमन तथा सामान्य जीवन जीने में काफी सुविधा होगी। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक आलोक भवाल ने कहा कि शासन का उद्देश्य प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पात्र दिव्यांगजन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सहायक उपकरणों का लाभ लेकर अपने जीवन को अधिक आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक बना सकते हैं।

अनियंत्रित होकर पलटी बच्चों से भरी तेज रफ्तार स्कूल बस, कई बच्चे हुए चोटिल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बच्चो से भरी स्कूल बस के अनियंत्रित होकर खेत मे पलट जाने से कई बच्चो को चोटें आई है। हादसा सोमवार जिले के प्रतापपुर थानाक्षेत्र के

प्रतापपुर के मसगा में हुआ हादसा

ग्राम मसगा में हुआ है। घटना के मासूमो में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगो ने तत्काल बस से बच्चो को बाहर निकाला और एम्बुलेन्स की मदद से आहत बच्चो को प्रतापपुर अस्पताल उपचार हेतु भिजवाया गया, हादसे से बच्चे काफी डरे हुए है।

बताया गया है कि सोमवार को छुट्टी होने के बाद निजी अचीवर्स इंटरनेशनल स्कूल प्रतापपुर के बच्चे है जो करीब 25 बच्चों को लेकर स्कूल बस उनके घर छोड़ने के लिए निकली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस

अनियंत्रित गति से चालक के द्वारा चलाई जा रही थी। ग्राम मसगा के समीप चालक ने गति पर से नियंत्रण खो दिया और बच्चो से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खेत मे पलट गई और उसमें बैठे बच्चे बस के अंदर इधर उधर जा गिरे। हादसे के बाद बच्चो में चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बगैर देर किए डरे सहमे व चोटिल बच्चो को बस से बाहर निकाला। इस बीच घटना की खबर लगते ही घबराए बच्चो के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस, डायल 112 एवं प्रतापपुर अस्पताल से भी एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंच गई। जिसके माध्यम से आहत बच्चो को अस्पताल लाया गया और बच्चो को उपचारार्थ दाखिल कराया गया। बताया गया है कि जहाँ से प्राथमिक उपचार पश्चात उन्हें छुट्टी दे दी गई तब कहीं जाकर परिजनों ने राहत की सांस ली। मामले में पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। इधर इस हादसे से बच्चो के परिजन भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे है। यह तो संयोग रहा कि बच्चे इस हादसे के बाद सुरक्षित है। वरना चालक की यह बड़ी लापरवाही ने तो मासूमो की जिंदगी दांव पर लगा दी थी।

डबरीपारा की जर्जर सड़क बनी मुसीबत, बरसात में राहगीरों और स्कूली बच्चों की बढ़ी परेशानी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। बारिश का मौसम शुरू होते ही ग्राम पंचायत रामनगर के डबरीपारा की सड़क एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। कीचड़, गड्ढों और जलभराव से बदहाल यह मार्ग अब चलने लायक नहीं रह गया है। हालात ऐसे हैं कि रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीण, स्कूली बच्चे और बुजुर्ग जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। आए दिन फिसलकर गिरने और छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सबसे अधिक परेशानी उन मासूम बच्चों को उठानी पड़ रही है जो इसी मार्ग से होकर शासकीय प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचते हैं। बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ की मोटी परत जम गई है और कई जगह बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से बच्चों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। कई

बार बच्चे स्कूल जाते समय फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे उनके कपड़े और किताबें खराब हो जाती हैं।

अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की बदहाली कोई नई बात नहीं है। हर वर्ष बरसात के दौरान यही स्थिति बन जाती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, बावजूद इसके सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका। ग्रामीणों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रेमनगर विधायक भुलन सिंह मरावी ने डबरीपारा में सीसी रोड निर्माण कराने का आश्वासन दिया था। लोगों को उम्मीद थी कि सड़क बनने से वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद अब तक यह वादा धरातल पर नहीं उतर पाया है। इससे क्षेत्रवासियों में निराशा और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि बरसात के दौरान लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए या फिलहाल अस्थायी मरम्मत कर मार्ग को आवागमन योग्य बनाया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते सड़क की स्थिति नहीं सुधारी गई तो किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर–2 जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा०प्र०क० / अ–27 / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बृजेश सिंह आ. मधु, निवासी ग्राम परसा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा द्वारा ग्राम परसा स्थित भूमि खसरा न0 1890, 2000, 2372 कुल खसरा नंबर 03 कुल रकबा 1.375 है० भूमि का अनावेदक गंझा राम ठाकुर आ. स्व. मधु व अन्य, निवासी ग्राम परसा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के मध्य खाता विभाजन कराने बावत् आवेदन छ०ग० भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा, 178 के तहत् प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 22 / 07 / 2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । आज दिनांक 06 / 07 / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर–2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर–2 जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा०प्र०क० / अ–27 / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बृजेश सिंह आ. मधु, निवासी ग्राम परसा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा द्वारा ग्राम परसा स्थित भूमि खसरा न० 1578 / 1, 1579 / 1, 1582, 1583 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 0.715 हे० भूमि का अनावेदिका पुष्पलता पत्नि गंझा व अन्य, निवासी ग्राम परसा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के मध्य खाता विभाजन कराने बावत् आवेदन छ०ग० भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा, 178 के तहत् प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 22 / 07 / 2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 06 / 07 / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर–2

यातायात सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाड्रफनगर बायपास मार्ग का कराया गया सुधार कार्य

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग ने जानकारी दी है कि जिले के विकासखंड वाड्रफनगर अंतर्गत बायपास मार्ग लंबाई 5.70 कि.मी. का निर्माण कार्य मेसर्स हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी, 'अ' वर्ग ठेकेदार, अंबिकापुर को 18 माह

का समय प्रदाय करते हुए 24.09.2018 को कार्यादेश जारी किया गया, जिसकी वास्तविक कार्यपूर्णता तिथि 31.03.2026 है, जो कि फारेस्ट क्लीयरेंस एवं भूमि मुआवजा के कारण विलंब रहा। कार्यपूर्णता के 03 माह बाद कि.मी. 4/6 में कुछ पैच क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे संबंधित ठेकेदार द्वारा परफॉर्मेंस गारंटी के तहत् मरम्मत करते हुए अनुबंधक द्वारा तत्काल सुधार कार्य कर लिया गया है। वर्तमान में बारिश होने एवं बिटुमिन की अनुपलब्धता के कारण सिमेंट कांक्रीट मिक्स से पैच वर्क कराया गया है, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से संचालित रहा है। बारिश समाप्ति पश्चात् सीमेंट कांक्रीट पेच के ऊपर बिटुमिनस कांक्रीट से अनुबंधक द्वारा मरम्मत कार्य कराया जाएगा। आज तक की स्थिति में मार्ग की स्थिति ठीक तथा परफॉर्मेंस गारंटी के अधीन है।

जेल बने सुधार और नई शुरुआत का केंद्र : कलेक्टर

कलेक्टर ने किया जिला जेल रामानुजगंज का निरीक्षण, व्यवस्थाओं की लिया जायजा

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिला जेल रामानुजगंज का निरीक्षण कर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जेल में निरुद्ध कैदियों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं तथा उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए जेल प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कैदियों के सुरक्षित, स्वस्थ वातावरण के साथ उनके पुनर्वास को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न बैरकों में जाकर निरुद्ध कैदियों से संवाद किया तथा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधितों से नियमित चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान कलेक्टर ने कैदियों को सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने खाली समय का सदुपयोग पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार-पत्रों के अध्ययन में करें। उन्होंने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने और

आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के प्रति उनकी रुचि भी जानी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जेल में रहते हुए ए.सी. रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग सहित अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त कर भविष्य में स्वरोजगार एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। कलेक्टर ने जेल के विभिन्न बैरकों, रसोईघर तथा साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों को स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कैदियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने जेल परिसर में नियमित योगाभ्यास कराने को कहा। साथ ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए परिसर में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों को सतत क्रियाशील एवं पूर्णतः दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि जेल केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास और नई शुरुआत का अवसर भी है। इसलिए कैदियों के कौशल संवर्धन और सकारात्मक जीवन दृष्टि विकसित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास सुनिश्चित करें।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

कांग्रेस ने भरी बरसात में निकाली न्याय रैली, कानून का राज स्थापित करने की मांग

आईजी को ज्ञापन सौंपकर कलाकेन्द्र मैदान के आबंटन में भ्रष्टाचार, भिट्ठीकला जमीन घोटाले में एफआईआर और प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में विधायक के गिरफ्तारी की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। गंभीर अपराधों में संलिप्त भाजपाईयों को लेकर पुलिस के सुस्त रवैये के खिलाफ सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने भरी बरसात में थाना चौक से पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज के कार्यालय तक न्याय रैली निकाली और कानून का राज स्थापित करने की मांग का ज्ञापन आईजी को सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, पूर्व केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत एवं निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के महिला और पुरुष पदाधिकारी और कार्यकर्ता सत्ता शासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए रैली में शामिल हुए। कलाकेन्द्र मैदान के आबंटन में भ्रष्टाचार, भिट्ठीकला जमीन घोटाले में एफआईआर और शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में सीतापुर विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली थी। आरोप है कि, सभी मामलों में भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और समर्थक शामिल हैं, और इन सभी मामलों में कमोबेश पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा से मुलाकात के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि भिट्ठीकला जमीन घोटाले में 16 जून को कलेक्टर ने 6 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के लिये तहसीलदार को निर्देशित किया था, जिस पर आजतक अपराध कायम नहीं हुआ है। अब सुनने में आ रहा है कि सत्ता शासन के दबाव में कलेक्टर सभी पक्षों को बैठाकर समझौता करा रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूरे जिले में सत्ता संरक्षण में स्थानीय और बाहर से आये हुए जमीन दलालों ने आतंक मचा रखा है। भिट्ठीकला मामले में कठोर कार्रवाई कर पुलिस को नजीर पेश करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस भाजपाईयों से जुड़े मामलों में निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं करेगी तो कांग्रेस, भाजपा के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के सरगुजा आगमन दौरान उनका कठोर विरोध करेगी।

साक्ष्यों के साथ चर्चा के बाद कार्रवाई का मिला आश्वासन

भाजपाईयों से संबंधित इन आपराधिक मामलों में थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक का दरवाजा खटखटाने के बाद कांग्रेस ने सभी मामलों के साक्ष्यों के साथ सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने ज्ञापन के साथ टेलीफोन वार्ता के वायरल ऑडियो के साथ ही न्यूज के उन क्लिप को भी पेश किया है, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ ही महापौर भी कमोबेश इस वार्ता का हिस्सा होना स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक ऐसा न्यूज क्लिप भी सौंपा, जिसमें लाइव प्रसारण के दौरान टेलिफोन के माध्यम से जुड़े अनुराग मिश्रा ने महापौर को 4 लाख रुपये की रिश्वत देने के साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष को 3 लाख रुपये और निगम कर्मचारियों को 1 लाख रुपये देने की पेशकश का जिक्र किया है। कांग्रेस ने भिट्टीकला जमीन घोटाले के मामले में कलेक्टर सरगुजा के पत्र की प्रतिलिपि भी आईजी को सौंपी जिसमें तहसीलदार को इस मामले में 6 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही लखनपुर के चांदो क्षेत्र के मस्तराम मझवार नामक वृद्ध के साथ हुए जमीन धोखाधड़ी के मामले में उसकी ओर से थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक को दिये गये आवेदन की प्रति सौंपी है। कांग्रेस नेताओं के साथ हुई चर्चा के बाद आईजी ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि इन मामलों में शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

कर्मचारियों में देखने को मिल रहा दुष्प्रभाव: भगत

पूर्व केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में विधायक रामकुमार टोप्पो की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने का मुद्दा आईजी के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि इस घटना का दुष्प्रभाव सीतापुर क्षेत्र के शायकीय कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है। ऐसे घटना की पुनरावृति की आशंका से कर्मचारियों कार्य करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक एसडीएम के गवाही के बाद भी सुनियोजित ढंग से प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले विधायक पर कार्रवाई नहीं होने से कानून-व्यवस्था की निष्पक्षता को लेकर लोगों के मन में संदेह व्याप्त है।

एसआईटी गठित करके मामले का करें निपटारा: शफी

कलाकेन्द्र मैदान के आबंटन में भ्रष्टाचार को लेकर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने आईजी से चर्चा के दौरान कहा कि इस मामले में स्वयं महापौर की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होना बड़े प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि एक मीडिया संस्थान से बातचीत में तो भाजपा जिलाध्यक्ष ने यह स्वीकार कर लिया है वायरल ऑडियो में हुई बातचीत का वे हिस्सा हैं। ऐसे में पुलिस किस दबाव में है। उन्होंने इस मामले में एसआईटी गठित करके इसके त्वरित निपटारे की मांग भी की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपाईयों से जुड़े मामलों में सत्ता प्रशासन के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है लेकिन कांग्रेस इन मामलों को परिणाम तक पहुंचाने तक जुटे रहेगी।

पिता लौटा काम से तो रो रही थी मासूम, पंजा पड़ गया था काला

डॉक्टर ने बताया करैत डसा है, दो अलग-अलग घटनाओं में दो बच्चियों की मौत

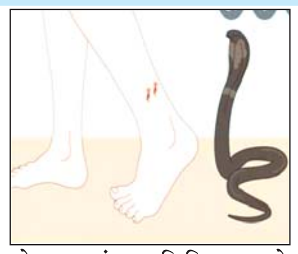

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सर्पदंश के दो मामलों में 2 वर्षीय मासूम सहित दो बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिला के पुलिस चैकी तातापानी अंतर्गत ग्राम सारंगपुर निवासी जाहुद अंसारी की दो वर्षीय पुत्री जैनब खातून 5 जुलाई को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसे जहरीला सांप काट लिया, जिससे परिवार के सदस्य अनभिज्ञ थे। जाहुद अंसारी ग्राम जामवंतपुर से काम करके शाम करीब 6 बजे घर वापस लौटा तो उसकी बेटी जैनब दाहिने हाथ को झटकारकर रो रही थी और उसका पंजा काला पड़ गया था, हाथ में सूजन था, और मुह से झाग निकल रहा था। बच्ची को उल्टी करते देखकर वह तत्काल बच्ची को बलरामपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। चिकित्सक ने जांच के बाद बच्ची को करैत सांप के काटने की जानकारी दी और प्राथमिक चिकित्सा के बाद रिफर कर दिया। स्वजन उसे संजीवनी 108 एक्सप्रेस से मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एक अन्य घटना में अंबिकापुर के गांधीनगर थाना अंतर्गत ग्राम डिगमा, सरगवां निवासी निवारण हाजरा की 9 वर्षीय पुत्री नियति हाजरा को जहरीले सांप ने डस लिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोरिया जिला के बैकुंठपुर, चरचा माइंस में काम करने वाले मृतिका के पिता ने पुलिस को बताया है कि, करीब चार माह पूर्व उसकी पत्नि और बच्चे गृहग्राम सरगवां आये थे। 4 जुलाई को वह अपने कार्यस्थल से छुट्टी लेकर घर आया, तो उसके परिवार के सदस्य नहीं थे। फोन लगाकर वह परिवार के सदस्यों से संपर्क किया तो पता चला कि बेटी नियति हाजरा को सांप काट लिया है, उसको होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराये हैं। इसकी जानकारी मिलने पर वह अस्पताल पहुंचा, तो उसकी पुत्री बेहोशी की हालत में थी और उसका उपचार चल रहा था। इलाज के दौरान 5 जुलाई को दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

रांची में पुलिस ने पकड़ लिया है, कहते हुये सोना दिलवाने के नाम पर 25 लाख की ठगी

16 महीने तक पुलिस के चक्कर में फंसने की बात कहकर सब्जी विक्रेता से वसूला रुपये

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के गुदरी बाजार में सब्जी बेचने वाले शंकर प्रसाद गुप्ता, 52 वर्ष, निवासी बौरीपारा से विकास सोनी पिता उदित सोनी निवासी चांदनी चौक, बंगाली मैदान ने 25 लाख रुपये ठग लिए। दरअसल, फरवरी 2024 में विकास सोनी ने शंकर गुप्ता को झांसा दिया कि सोना सस्ता है, अनामिका मैडम से दिलवा दूंगा, कहकर पहले 1 लाख नगद और 6 हजार रांची जाने का खर्चा लिया, फिर फोन करके कहा कि रांची में पुलिस ने पकड़ लिया है पैसा भेजो, और जेल का फोटो भी भेजा। इसके बाद डरा-धमका कर शंकर से फरवरी से सितंबर 2024 तक 15-16 लाख रुपये वसूल लिए। आरोपी ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच अलग-अलग खातों में 7,03,810 रुपये' और डलवाए। इस प्रकार कुल 25 लाख रुपये की ठगी की घटना को अंजाम दिया। सब्जी विक्रेता ने उक्त रकम स्वयं, रिश्तेदारों और बाहरी लोगों से मंगाकर दिया था। पैसे के लिये जब वह उसके घर जाता तो दोनों पति-पत्नि के द्वारा रांची पुलिस के पास उसका नाम लिखवाने की धमकी देते थे।

पुलिस-अधिवक्ता बनकर किया भयभीत

विकास सोनी ने अलग-अलग नंबरों से खुद को कभी मैडम, तो कभी कंपनी, एडवोकेट, रांची एसपी, दिल्ली ऑफिस से बात करना बताकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया। इधर विकास सोनी की पत्नि सोना नहीं मिलने पर अपने शादी में चढ़ा हुआ सभी सोने का गहना देने का झांसा देकर उसे विश्वास में लेते रही। शंकर गुप्ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने विकास सोनी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

कोटवारी/सेवाभूमि प्रकरण में खातेदारों को न्यायालय में उपस्थित होकर रखना होगा पक्ष

वर्तमान खातेदार, भूमि स्वामियों को नहीं हो पाया सूचना पत्र तामिल, 17 जुलाई के बाद दावा आपत्ति पर पर नहीं किया जाएगा विचार

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) अम्बिकापुर द्वारा प्राप्त निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के निर्देशानुसार कोटवारों द्वारा विक्रय की गई कोटवारीध्सेवाभूमि के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है।

तहसीलदार अंबिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्का पटवारी ने प्रतिवेदित किया है कि ग्राम मणीपुर के सरगुजा सेटलमेंट में खसरा नंबर 378 रकबा 0.064 एकड़ भूमि कोटवारी मद में सोमा मुन्डा वल्द तेलंगा मुन्डा कौम मुन्डा सा. अं.पुर टोला मणीपुर के नाम पर दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 378/5 रकबा 0.024 हे. भूमि प्रमिला राजवाड़े पति नन्दकिशोर राजवाड़े जाति रजवार के नाम पर कृषि भूमि के रूप मे दर्ज है। ग्राम मणीपुर के सरगुजा सेटलमेंट में खसरा नंबर 378 रकबा 0.064 एकड़ भूमि कोटवारी मद में सोमा मुन्डा वल्द तेलंगा मुन्डा कौम मुन्डा सा. अपुर टोला मणीपुर के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 378/3 रकबा 0.061 हे. भूमि विमला त्रिपाठी पति संतोष कुमार त्रिपाठी वर्ग सामान्य, पता अं.पुर के नाम पर कृषि के रूप में दर्ज है। ग्राम मणीपुर के सरगुजा सेटलमेंट में खसरा नंबर 378 रकबा 0.064 एकड़ भूमि कोटवारी मद में सोमा मुन्डा वल्द तेलंगा मुन्डा कौम मुन्डा सा.अपुर टोला मणीपुर के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 37/ध्1 रकबा 0.054 हे. भूमि आनन्द कुमार पिता मिश्रीलाल जाति पनिका के नाम पर कृषि भूमि के नाम पर दर्ज है। ग्राम मणीपुर के सरगुजा सेटलमेंट में खसरा नंबर 378 रकबा 0.064 एकड़ भूमि कोटवारी मद में सोमा मुन्डा वल्द तेलंगा मुन्डा कौम मुन्डा सा.अपुर टोला मणीपुर के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 378/8 रकबा 0.012 हे. भूमि शशिकला पति अनंत कुमार वर्ग सामान्य पता राजनगर कॉलोनी अनुपपुर थाना व तहसील अनुपपुर जिला अनुपपुर म.प्र. के नाम कृषि भूमि दर्ज है। वर्तमान भूमिस्वामी, खातेदारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया, किन्तु संबंधित व्यक्ति का पता सही होने के कारण अदम तामिली माल जमादार द्वारा नोटिस वापस किया गया है, इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः वर्तमान खातेदार, भूमि स्वामियों को सूचना पत्र तामिली नहीं हो पाने के कारण पेशी 17 जुलाई 2026 को न्यायालय में स्वयं उपस्थिति अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत में 2 की मौत, दो गंभीर

टक्कर के बाद दोनों बाइकों में लगी भीषण आग

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत चुरैला नाला के पास सोमवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत में दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों मोटरसाइकिलों में आग लग जाने से घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, दोनों मोटरसाइकिलों पर दो-दो लोग सवार थे। बाइकों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना के तुरंत बाद दोनों बाइकों में आग लग गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण वाहनों में शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। घटना की सूचना मिलते ही वाड्रफनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने के साथ घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में मृतकों की पहचान राम सकल, निवासी रघुनाथनगर, पवन कुमार (26 वर्ष) ग्राम ककनेसा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

पेट्रोल पंप से चोरी हुई एक्टिवा वाहन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के खरसिया नाका में स्थित भरत पेट्रोल पंप के पास से एक्टिवा स्कूटी वाहन को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। नवजीवन अस्पताल में काम करने वाली प्रार्थिया फुलसुंदरी खलखो ने पुलिस को बताया है कि, उसका लड़का 27 जून को सुबह करीब 5.30 बजे स्कूटी क्रमांक सीजी 15 ईजी 9514 में पेट्रोल भरवाने खरसिया नाका स्थित भरत पेट्रोल पंप गया था। पेट्रोल भरवाने के बाद स्कूटी को साइड में खड़ा करके पैसा देने गया था, वापस आया तो स्कूटी नहीं थी। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है।

टोनही कहकर बुजुर्ग महिला को पीटा, घर में तोड़फोड़

छ.ग.फ्रंटलाइन लुंड्रा। थाना अंतर्गत वृद्ध महिला को टोनही कहकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने और घर तोड़ने के मामले में 3 आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धाराओं के तहम मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, लुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम गुजरवारपारा खाराडांडपारा की धनेश्वरी नागेश पति स्व. टुनू राम कुमार 65 वर्ष के साथ गांव के ही अनु नागेश, विक्रम नागेश और मंगल नागेश द्वारा मनु नागेश को जादू-टोना करके मार डालने का आरोप लगाते हुये गाली-गलौज करके मारपीट करते आ रहे थे। एक जुलाई को लगभग 4 बजे इसे लेकर सामाजिक बैठक रखा गया था। सामाजिक बैठक में भी अनु और मंगल नागेश ने बुजुर्ग महिला को टोनही मीटिंग करवा रही है, कहते हुये मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान गांव के लोगों ने बीच-बचाव किया, इसके बाद आरोपी वहां से चले गये। शाम को पुनः वृद्ध महिला के घर आरोपी पहुंचे और जान से खत्म कर देने की धमकी देते हुये अंदर से बंद घर के दरवाजे को तोड़फोड़ करके मारपीट किये और मेरे घर के खप्पर को क्षतिग्रस्त् कर दिए। पुलिस ने जांच में घटना को सही पाया और विधि विरूद्ध एवं दंडनीय अपराध सामने आने पर वृद्ध महिला का डॉक्टरी मुलाहिजा 2 जुलाई को कराई थी। मारपीट से अस्वस्थ होने के कारण वह इसकी रिपोर्ट थाना में दर्ज नहीं करा पायी थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के विरूद्ध टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 3, 4, 5 और बीएनएस की धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3) का मामला दर्ज करके विवेचना में लिया है, और वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

घर का ताला काटकर नकदी सहित एक लाख से अधिक का जेवरात चोरी

छ.ग.फ्रंटलाइन सीतापुर। थाना क्षेत्र में सूने मकान का ताला कटर से काटकर चोर ने पूरे घर को खंगाला और 50 हजार रुपये नकद सहित एक लाख रुपये से अधिक का जेवरात चोरी कर लिया। जानकारी के मुताबिक, ग्राम आमाटोली सुन्दरनगर निवासी अजय सिन्हा 3 जुलाई, शुक्रवार को अपने घर में ताला बंद करके बच्चों को लेने दिन में करीब 11 बजे अंबिकापुर आए थे, और अंबिकापुर में ही रूक गए थे। 4 जुलाई को रात 11.00 बजे बच्चों को लेकर सुन्दरनगर वापस पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला कटर से काटा हुआ था। अंदर जाने पर अन्य दरवाजों में लगा ताला भी कटर से काटा हुआ मिला। घर के अंदर रखा आलमारी खुला था और उसमें रखा सोने, चांदी का जेवर, नकद राशि गायब था। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल डॉयल 112 में फोन करके दी, इसके बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण करके चली गई। अजय सिन्हा ने पुलिस को चोरों के द्वारा अलमारी में रखा सोने का मंगलसूत्र 2 नग, अंगूठी 2 नग, झुमका 9 नग, नथ 9 नग, चांदी के सिक्के 9 नग, बिछिया 2 नग, ब्रेसलेट 1 नग, 50 हजार रुपये नकद गायब था। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 331(4), 305(ए) का मामला दर्ज कर लिया है।

उधार में शराब नहीं देने पर इनोवा सवार होकर ने 1.5 लाख का सामान क्षतिग्रस्त किया

छ.ग.फ्रंटलाइन भटगांव। सूरजपुर जिला के भटगांव थाना अंतर्गत उधार में शराब नहीं देने पर इनोवा सवार के द्वारा प्वाइंट ऑफ सेल मशीन पटक देने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे करीब डेढ़ लाख रुपये की क्षति हुई है। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, 4 जुलाई को शाम करीब 5.30 बजे शासकीय विदेशी मदिरा दुकान के काउंटर में ग्राम पलमा निवासी मुख्य विक्रयकर्ता अभय गुप्ता पिता रतन गुप्ता 26 वर्ष शराब विक्री कर रहा था। इसी बीच जरही उर्जानगर निवासी दिवाकर सिंह अपने इनोवा कार वाहन क्रमांक जेएच 01 ईजी 6533 में काउंटर के पास आया और दुकान के सेल्समैन राजा देवांगन व प्रिन्स कुमार गुप्ता से उधार में शराब मांगा। इनके द्वारा उधार में शराब देने से मना करने पर दिवाकर सिंह गाली-गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर काउंटर में रखे शासकीय पीओएस मशीन व स्केनर को उठाकर बाहर कीचड़ में पटक दिया। शासकीय पीओएस मशीन की कीमत करीब 50 हजार रुपये व स्केनर की कीमत करीब 01 लाख रुपये बताई गई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

खाना खाने गया चालक, इधर ट्रक से डिस्क सहित 4 टायर, 2 बैटरी हो गया चोरी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। ट्रक खड़ी करके चालक अपने घर में खाना खाया और देर रात वापस ट्रक वाहन के पास आया तो उसका डिस्क सहित टायर और बैटरी गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी चोरों का पता नहीं चलने पर घटना की रिपोर्ट चालक ने लखनपुर थाना में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के ग्राम माजा, राजाकटेल निवासी वकील अंसारी पिता उस्मान अंसारी, श्री बालाजी कंपनी का 18 चक्का ट्रक वाहन चलाता है। ट्राला से कोयला महान एनर्जी मध्य प्रदेश में खाली करने के बाद वह उदयपुर अड़ानी कोयला खदान वापस आ रहा था। 3 जुलाई की रात को करीब 10 बजे रास्ते में अपने घर के पास ग्राम माजा में ट्रक को खड़ा करके खाना खाने के लिये अपने घर चले गया था। रात करीब 2 बजे ट्रक के पास वापस आया तो ट्रक के बायें तरफ का 4 टायर डिक्स सहित नहीं था। ट्रक में लगा 2 बैटरी भी गायब था। चोरी गये टायर डिक्स एवं बैटरी कीमत लगभग 60 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में स्थानीय पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पोंड़ी का मुकेश कुमार पिता सोनसाय 22 वर्ष, 5 जुलाई को स्कूटी वाहन से ग्राम उमापुर जाने के लिये सुबह करीब 7 बजे निकला था। रास्ते में ग्राम कलुवा के पास मुख्य मार्ग में अज्ञात वाहन का चालक उसे ठोकर मारकर भाग गया। स्थानीय लोग उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल सूरजपुर भेजे, यहां उसका उपचार चल रहा था। घटना से परिवार के सदस्य अनभिज्ञ थी। करीब 8.30 बजे मुकेश की पत्नि अपने पति के मोबाइल में किसी काम से फोन की, तो अस्पताल के स्टाफ ने एक्सीडेंट की जानकारी देते हुये सूरजपुर जिला अस्पताल आने के लिये कहा। जब वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अस्पताल पहुंची तो देखी के उसके पति के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट आई थी। यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रिफर करने पर संजीवनी 108 से घायल पति को लेकर मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर पहुंची, यहां इलाज के दौरान रविवार को ही शाम करीब 5.30 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर